रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1991 (भाद्रपद 30, 1913)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1991 (BHADRA 30, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

शहरी बैंक विभाग

बंबई-400018, दिनांक 31 अगस्त 1991

सं० यू०बी०डी०बी०आर० 112/ए18-91/92—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के खंड (यक) के साथ पठित धारा 36ए की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित प्राथमिक सहकारी बैंक (वेतनभोगी समितियां) उक्त अधिनियम के तात्पर्य के अंतर्गत बैंक नहीं रहे।

समिति का नाम	राज्य
1. दि० मलाप्पुरम डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक इंप्लाईज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, सं० एम 5, मलाप्पुरम	केरल
2. पुनलूर प्लायवुड फैक्ट्री इंप्लाईज को-आपरेटिव सोसायटी लि०, नं० 2894, पुनलूर, जिला—कोल्लम	केरल
3. एस० डी० कालेज इंप्लाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि० नं० ए 753, मनाथनापुरम, डाक घर—अलापुझा	केरल

जी० के० उदेशी,
मुख्य अधिकारी

स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

प्रधान कार्यालय

भावनगर, दिनांक 22 अगस्त 1991

समनुषंगी बैंक सामान्य विनियमन, 1959 के विनियम 55(1) के अनुसरण में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का निदेशक मंडल बैंक की अधिसूचना दिनांक 24-12-1963, क्रमांक 27 में आंशिक संशोधन से एतद्द्वारा नीचे दर्शित अधिकारियों को यहां नीचे निर्धारित सीमा तक के हस्ताक्षर अधिकार देने हेतु प्राधिकृत करता है :—

शाखा प्रबंधक, प्रभागीय प्रबंधक, लेखापाल, सहायक लेखापाल, क्षेत्र अधिकारी तथा शाखा पर कार्यरत अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	(क) मांगड्राफ्ट, डाक अंतरण, तार अंतरण पुष्टीकरण संसूचना, अंतरण जवाबी संसूचना तथा तार अवायगी संसूचना पुष्टीकरण ।	
	(i) व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर हेतु	जब राशि रु० 50,000/- से कम हो
	(ii) अन्य अधिकारी जिसे पूर्ण अधिकार हो उसके साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर हेतु	जब राशि रु० 50,000/- तथा उससे अधिक हो ।
	(ख) दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से गारंटियां तथा साखपत्रों पर हस्ताक्षर हेतु (चाहे राशि कोई भी हो)	

के० मार्गबंधु
प्रबंध निदेशक

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 सितंबर 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं० 1-सी० ए० (7)/19/91—चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियमन, 1988 में कतिपय संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38वां) की धारा 30 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रस्तावित किया गया है और इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप 30 अक्तूबर, 1991 को अथवा उसके उपरांत विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा ।

कथित प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली की कौंसिल द्वारा विचार किया जाएगा ।

1 इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (संशोधन) विनियम, 1991 के रूप में माना जाएगा ।

2. कौंसिल द्वारा निर्धारित तिथि से इन विनियमों को लागू माना जाएगा ।

3. कथित विनियमों में:—

I. वर्तमान विनियम 23, 24, 25 तथा 26 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया गया

"23 (1) एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेश

एन्ट्रेन्स परीक्षा में किसी भी प्रत्यासी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसने विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अनुच्छेद (9) के प्रावधानों के तहत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा स्नातकीय पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहा हो ।

बशर्ते जो प्रत्याक्षी 1 जनवरी, 1985 के उपरांत संपन्न एन्ट्रेन्स परीक्षा में बैठा हो और तीन बार कठित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है उसे एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

(2) एन्ट्रेन्स परीक्षा हेतु प्रवेश शुल्क

सभी प्रत्याशियों को एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रावेशार्थ शुल्क का भुगतान करना होगा जो समय-समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(3) एन्ट्रेन्स परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेशार्थ प्रत्याशियों की उन विषियों में परीक्षा ली जाएगी जिनका निर्धारण अनुसूची "बी" के पैरा 1 में किया गया है ।

(4) इन विनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजूद कौंसिल को यह अधिकार होगा कि वह फाउंडेशन परीक्षा शुरू होने के उपरांत किसी भी समय एन्ट्रेन्स परीक्षा को समाप्त कर दे ।

24. फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण

(1) किसी भी प्रत्याशी को फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारत में विधि संम्मत रूप से गठित किसी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित सीनियर सेकेन्डरी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष समझी जाने वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो ।

(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) में किसी भी उल्लेख के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सीनियर सेकेन्डरी परीक्षा

अथवा उसके समकक्ष समझी जाने वाली सरकार अथवा कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी परीक्षा में बैठा है उसे भी कौंसिल के तत्वाधान में गठित कोचिंग सगठन द्वारा फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए अन्तरिम रूप से पंजीकृत कर दिया जाएगा ।

बशर्ते जिस व्यक्ति को अतरिम पंजीकरण दिया गया है उसने अन्तरिम पंजीकरण से 6 महीनों के अंदर कोचिंग संगठन को इस आशय के संतोषजनक प्रमाण दे दिए है कि उसने कथित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । जो व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित अवधि के इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहेगा उसका अंतरिम पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और जो भी पंजीकरण शुल्क अथवा शिक्षा शुल्क उसने दिया है अथवा कोई भी भाग वापस नहीं किया जाएगा तथा इन विनियमों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक निर्देशों को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी ।

(3) फाउंडेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व प्रत्याशियों को शुल्क का भुगतान करना होगा जो समय-समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

25. (1) फाउन्डेशन परीक्षा में प्रवेश :

किसी भी प्रत्याशी को फाउन्डेशन परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह किसी भी नाम से जाने वाले कोचिंग संगठन के प्रधान से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह कोचिंग संगठन के पास पंजीकृत हुआ है और उसने डाक शिक्षा योजना के संबंध में सभी आवश्यक निर्देशों का पालन किया है ।

बशर्ते कि वाणिज्य स्नातक जिसने कि स्नातक परीक्षा, एकाउन्टैन्सी, आडिटिंग, मर्किन्टाइल अथवा कोमर्शियल लाज विषयों में, परीक्षा के पूर्ण अंकों का 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, अथवा वाणिज्य स्नातक के अलावा दूसरे स्नातक जिसने अन्य विषयो के साथ अंक गणित में स्नातक परीक्षा, परीक्षा के पूर्ण अकों का कम से कम 60 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, अथवा वाणिज्य स्नातक के अलावा दूसरे स्नातक जिसने स्नातक परीक्षा अंक गणित के अलावा किसी अन्य विषयों में, स्नातक परीक्षा के पूर्ण अंकों का कम से कम 55 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, को फाउन्डेशन परीक्षा पास करने से छूट दी जायेगी, यदि अन्य रूपों में योग्य पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों को इन विनियमो में निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल्ड/आडिट क्लर्क के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी जायेगी ।

(2) फाउन्डेशन परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क :

प्रत्याशी को फाउन्डेशन परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा जो समय-समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(3) फाउन्डेशन परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम :

प्रत्याशियों की फाउन्डेशन परीक्षा परीक्षा के लिए अनुसूची "बी" के पैरा 1ए में निर्धारित विषयों में परीक्षा देनी होगी ।

26. इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश :

किसी भी प्रत्याशी को इंटरमीडिएट परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि उसने निम्नलिखित योग्यता न प्राप्त कर ली हो :—

(i) उसने या तो एन्ट्रेन्स परीक्षा या फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा इन विनियमों के अधीन कथित परीक्षाओं मे से किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने से उसे छूट प्राप्त हो गयी हो;

(ii) उसने आर्टिकल्ड क्लर्क अथवा आडिट क्लर्क के रूप में अथवा आर्टिकल्ड क्लर्क (आंशिक रूप से) अथवा आडिट क्लर्क (आंशिक रूप से) के रूप में 9 महीने की सेवा परीक्षा शुरू होने वाले महीने के प्रथम दिन से तीन महीने पूर्व पूर्ण कर ली हो; और

(iii) किसी भी नाम, पद से जाने वाले कोचिंग संगठन के प्रधान से इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा कि उसने डाक शिक्षा योजना के सम्बन्ध में सभी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है :—

बशर्ते कि उक्त प्रमाण-पत्र उसके निर्गमन की तिथि, जो कोचिंग संगठन द्वारा निर्धारित किया जायेगा, से आंकलिक अवधि के लिए वैध होगा जिसके उपरान्त प्रत्याशी को उस सम्बन्ध में कोचिंग संस्थान द्वारा लागू की गयी शर्तों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने के बाद नवीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

II. वर्तमान विनियम 28 तथा 29 में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है :—

28. इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम :

(1) 1 जनवरी, 1985 के उपरान्त संपन्न इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रत्याशी को अनुसूची "बी" के पैरा 2 में निर्धारित समूह तथा विषयों में परीक्षा देनी होगी ।

(2) इन विनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजूद, परिषद्, फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के शुरू हो जाने के बाद, किसी भी समय, सूची "बी" के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन को समाप्त कर सकती है तथा उम्मीदवारों को सूची "बी" के पैराग्राफ 2ए में निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने का आदेश दे सकती है ।

29. अंतिम (फाईनल) परीक्षा में प्रवेश :

किसी भी प्रत्याशी को अंतिम (फाइनल) परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक उसने :—

(i) इन विनियमों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 के अधीन इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1949 के तहत इंटरमीडिएट अथवा प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो, अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1949 के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट मिल गयी हो।

(ii) सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया है अथवा परीक्षा शुरू होने वाले महीने के प्रथम दिन से न्यूनतम 3 माह पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण कम से कम 3 महीनों का प्रशिक्षण और प्राप्त करना है।

स्पष्टीकरण :

व्यावहारिक प्रशिक्षण की उक्त 3 महीनों की शेष अवधि को आंकलित करते समय आर्टिकल्ड क्लर्क के मामले में 138 दिन से अधिक नही लिए गए अवकाश और आडिट क्लर्क के मामले में 184 दिन से अधिक नहीं अवकाश को ऐसी अवधि माना जायेगा कि उसने आर्टिकल्ड अथवा आडिट सेवा, जैसा भी मामला हो के अंतर्गत इस अवधि के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त करना है।

(iii) किसी भी नाम अथवा पद से जाने वाले कोचिंग संस्थान के प्रधान से इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा कि परीक्षा शुरू होने वाले महीने के प्रथम दिन से 6 महीने पूर्व कि न्यूनतम अवधि के लिए अंतिम पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के रूप में उसका पंजीकरण किया जा चुका है।

(iv) इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा अंतिम परीक्षा की प्रथम प्रस्तुति के मध्य न्यूनतम एक अंतिम परीक्षा का समय अंतराल अवश्य है।

III. वर्तमान विनियम 31 में निम्न अनुसार परिवर्तन किया गया है :—

31. अंतिम परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम :

(1) अन्तिम परीक्षा के लिए प्रत्याशियों की अनुसूची "बी" के पैरा 3 में निर्धारित समूह तथा विषयों में परीक्षा ली जायेगी।

(2) इन विनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजूद परिषद्, फाउन्डेशन परीक्षा के शुरू हो जाने के उपरांत किसी भी समय, सूची "बी" के पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत, निर्धारित पाठ्यक्रम में, फाइनल परीक्षा के आयोजन को समाप्त कर सकती है, तथा उम्मीदवारों को सूची "बी" के पैराग्राफ 3ए में निर्धारित पाठ्यक्रमके अन्तर्गत फाइनल परीक्षा पास करने का आदेश दे सकती है।

IV. वर्तमान विनियम 36, 37 तथा 38 में निम्न प्रकार से परिवर्तन करके पढ़ा जाए :—

36. (1) एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं :

साधारणतया उस प्रत्याशी को एन्ट्रेन्स परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में प्राप्त किए हैं और सभी प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

(2) फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं :

फाउन्डेशन परीक्षा में उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण माना जायेगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में प्राप्त किए हैं और सभी प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

37. इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं :

(1) इंटरमीडिएट परीक्षा में साधारणतया उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वह दोनों समूहों में एक साथ बैठ सकते हैं अथवा एक परीक्षा में एक समूह में और किसी आगामी परीक्षा में शेष समूहों के लिए परीक्षा दे सकते हैं।

(2) दोनों समूहों में एक साथ उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में प्राप्त किए हैं और एक साथ लिए दोनों समूहों के सभी प्रश्न-पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं।

(3) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में समूह के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा उस समूह के सभी प्रश्न-पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें उस समूह में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा।

(4) जिस प्रत्याशी ने इंटरमीडिएट परीक्षा के दोनों ग्रुपों में किसी एक ग्रुप को, इन विनियमों के सूची "बी" का पैराग्राफ 2ए में निर्धारित पाठ्यक्रम में परीक्षा के शुरू होने से पहले पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत पास कर लिया हो, वह निम्नलिखित तालिकाओं में निर्धारित प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट का अधिकारी होगा, और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा, यदि वह एक ही परीक्षा के अंतर्गत बाकी बचे प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, और सभी शेष प्रश्नपत्रों को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता हो।

बशर्ते जिस प्रत्याशी को पांच प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट प्राप्त होगी उसे कथित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा यदि उसने शेष प्रश्नपत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

तालिका ए

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 के अंतर्गत अनुसूची "बी" के तहत उत्तीर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र		चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1988 के सूची "बी" के पैराग्राफ 2ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी भी इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रत्याशियों को छूट प्राप्त करने के प्रश्नपत्र	
समूह—1			
प्रश्नपत्र 1	एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 1	एडवांस्ड एकाउंटिंग (समूह—1)
प्रश्नपत्र 2	एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 1	एडवांस्ड एकाउंटिंग (समूह—1)
प्रश्नपत्र 3 (समूह—2)	आडिटिंग	प्रश्नपत्र 2	आडिटिंग (समूह- 1)
प्रश्न पत्र 4	कास्ट एकाउन्ट्स एण्ड स्टैटीस्टिक्स	प्रश्नपत्र 4	कास्ट एकाउंटिंग (समूह—2)
प्रश्नपत्र 5	मर्केन्टाइल लॉ एवं कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र 5	कोर्पोरेट एवं अन्य लॉ (समूह—1)
प्रश्नपत्र 6	सामान्य वाणिज्यिक ज्ञान	कुछ नही	

तालिका "बी"

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 की अनुसूची "बी" के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत उत्तीर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र अथवा सी०ए० विनियम, 1988 की अनुसूची "बी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र		चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 के सूची "बी" के पैराग्राफ 2 ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी इंटरमीडिएट परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा	
समूह—1			
प्रश्नपत्र—1	एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र—1	एडवांस्ड एकाउंटिंग (समूह—1)
प्रश्नपत्र 2 ए	कम्पनी एकाउन्ट्स	प्रश्नपत्र—5	आयकर तथा केन्द्रीय बिक्री कर (समूह—2)
2बी	ऐलीमैंट्स आफ इनकम टैक्स		
प्रश्नपत्र 3	कास्ट एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 4	कास्ट एकाउंटिंग (समूह—2)
प्रश्नपत्र 4 समूह—2	आडिटिंग	प्रश्नपत्र 2	आडिटिंग (समूह—1)
प्रश्नपत्र 5	मर्केंटाइल लॉ, कम्पनी लॉ एवं इण्डस्ट्रियल लॉ	प्रश्नपत्र 3	कार्पोरेट एवं अन्य लॉज (समूह—1)
प्रश्नपत्र 6	बिजनेस मैथेमैटिक्स एवं स्टैटिस्टिक्स	कुछ नहीं	
प्रश्नपत्र 7	आर्गेनाइजेशन एव मैनेजमैंट एवं अर्थशास्त्र	प्रश्नपत्र 6	आर्गेनाइजेशन एव मैनेजमैंट तथा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के फंडामैन्ट्स (समूह—2)

(5) जिन प्रत्याशियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा के एक समूह को उत्तीर्ण कर लिया है किंतु दोनों समूह उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं उन पर ये विनियम तब तक लागू होते रहेंगे जब तक इन विनियमों के सूची "बी" पैराग्राफ 2 ए के अन्तर्गत होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू नहीं हो जाती ।

38. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अर्हताएं

(1) जो प्रत्याशी अंतिम परीक्षा के दोनो समूहों में उत्तीर्ण है उसे साधारणतया उत्तीर्ण घोषित माना जायेगा । भले ही वह दोनों समूहों में एक साथ बैठा हो अथवा एक परीक्षा के एक समूह में तथा शेष समूह में किसी आगामी परीक्षा में बैठा हो ।

(2) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तथा उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें दोनों समूहों में एक साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।

(3) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में समूह के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।

(4) जिस प्रत्याशी ने फाइनल परीक्षा के दोनों ग्रुपों में किसी एक ग्रुपको, इन विनियमों के सूची "बी" का पैराग्राफ 3 ए में निर्धारित पाठ्यक्रम में परीक्षा के शुरू होने से पहले, पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पास कर लिया हो, वह निम्नलिखित तालिकाओं में निर्धारित प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट की अधिकारी होगा, और परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जायेगा यदि वह, एक ही परीक्षा के अन्तर्गत बाकी बचे प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 40 प्रतिशत और सभी शेष प्रश्नपत्रों को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता हो –

बशर्ते कि प्रत्याशी ने सात प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट प्राप्त कर ली है उसे कथित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा किंतु उसे शेष प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

तालिका सी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1964 की अनुसूची "बी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण अन्तिम परीक्षा के प्रश्नपत्र			चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के सूची "बी" पैराग्राफ 3 ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अन्तिम परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा		
समूह–1					
प्रश्नपत्र 1	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 1	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र 2	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग एवं मैनेजमैंट एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 2	:	मैनेजमैंट एकाउंटिंग एवं वित्तीय विश्लेषण (समूह–1)
प्रश्नपत्र 3	:	कास्टिंग	प्रश्नपत्र 5	:	एडवान्सड कास्ट एकाउंटिंग एवं कास्ट सिस्टम (समूह–2)
प्रश्नपत्र 4	:	आडिटिंग	प्रश्नपत्र 3	:	एडवान्स्ड एवं मैनेजमैंट आडिटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र 5	:	टैक्सेशन	प्रश्नपत्र 7	:	प्रत्यक्षकर (समूह–2)
समूह–2					
प्रश्नपत्र 7	:	कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र 4	:	कार्पोरेट लॉज एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (समूह–1)

तालिका "डी"

तीन समूह प्रणाली के अन्तर्गत 01 जनवरी 1985 से पूर्व चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1964 की अनुसूची "बी बी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण अन्तिम परीक्षा के प्रश्नपत्र			चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1988 के सूची "बी" पैराग्राफ 3 ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अन्तिम परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा		
समूह–1					
प्रश्नपत्र 1	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 1	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र 2	:	फाइनैन्शियल मैनेजमैंट	प्रश्नपत्र 2	:	मैनेजमैंट एकाउंटिंग एवं वित्तीय विश्लेषण (समूह–1)
प्रश्नपत्र 3	:	आडिटिंग	प्रश्नपत्र 3	:	एडवान्स्ड एवं मैनेजमैंट आडिटिंग (समूह–1)
समूह–2					
प्रश्नपत्र 4	:	कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र 4	–	कोर्पोरेट लॉज एवं सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस (समूह–1)
प्रश्नपत्र 5	:	प्रत्यक्ष कर कानून	प्रश्नपत्र 7	:	प्रत्यक्ष कर (समूह–2)
समूह–3					
प्रश्नपत्र 8	:	सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग	प्रश्नपत्र 6	:	सिस्टम एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग एवं क्वान्टिटेटिव टैक्नीक (समूह–2)
प्रश्नपत्र 9	:	कास्ट रिकार्डस् एवं कास्ट कन्ट्रोल	प्रश्नपत्र 5	:	एडवान्स्ड कास्ट एकाउंटिंग एवं कास्ट सिस्टम (समूह–2)

तालिका "ई"

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 की अनुसूची "बी बी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण अन्तिम परीक्षा अथवा इन विनियमों के सूची "बी" पैराग्राफ 3 ए में वर्णित पाठ्यक्रम के लागू किए जाने से पूर्व विनियम 1988 (दो समूह प्रणाली के अन्तर्गत) के तहत परीक्षा के प्रश्नपत्र			चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 के सूची "बी" पैराग्राफ 3 ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अन्तिम परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा		
समूह–1					
प्रश्नपत्र 1	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 1	:	एडवान्स्ड एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र 2	:	मैनेजमैंट एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र 2	:	मैनेजमैंट एकाउंटिंग एवं वित्तीय विश्लेषण (समूह–1)
प्रश्नपत्र 3	:	आडिटिंग	प्रश्नपत्र 3	:	एडवान्स्ड एवं मैनेजमैंट आडिटिंग (समूह–1).
प्रश्नपत्र 4	:	कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र 4	:	कार्पोरेट लॉज एवं सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस (समूह–1)
समूह–2					
प्रश्नपत्र 5	:	प्रत्यक्षकर नियम	प्रश्नपत्र 7	:	प्रत्यक्ष कर (समूह–2)
प्रश्नपत्र 7	–	सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग	प्रश्नपत्र 6	:	सिस्टम एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग एवं क्वान्टिटेटिव टैक्नीकल (समूह–2)
प्रश्नपत्र 8	:	कास्ट सिस्टम्स एवं कास्ट कन्ट्रौल	प्रश्नपत्र 5	:	एडवान्सड कास्ट एकाउंटिंग एवं कास्ट सिस्टम (समूह–2)

(5) जिस प्रत्याशी ने चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस विनियम, 1988 के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा के किसी एक समूह में सफलता प्राप्त की है, किंतु दोनों समूहों में नहीं कर सके हैं उन प्रत्याशियों पर इन विनियमों के सूची "बी" पैराग्राफ 3 ए के अन्तर्गत संपन्न होने वाली अंतिम परीक्षा के शुरू होने तक उन विनियमों के प्रावधान ही लागू माने जायेंगे ।

V विनियम 43 के उप विनियम (6) को निकाल दिया गया है और उसके स्थान पर उप विनियम लागू किया गया है जिसका नया नम्बर उप विनियम (6), (7), (8) तथा (9) है ।

VI विनियम 43 के वर्तमान उप विनियम (8) के प्रावधानों को स्पष्टीकरण में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है :—

स्पष्टीकरण

इस विनियम का उद्देश्य है कि जब कोई सदस्य विनियम 51 तथा 72 के तहत स्वीकृत वित्तीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक संस्थानों में एक अथवा अधिक में सेवा करने के उपरांत प्रैक्टिस को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में सहित अपनी प्रैक्टिस शरू करता है वह तीन वर्षों से सतत प्रैक्टिस कर रहा है—ऐसा माना जायेगा ।

VII वर्तमान उप विनियम 45 (1)/(बी) में निम्नलिखित सुधार किया गया है :—

"(बी)—इस प्रकार का प्रत्याशी—

(i) आर्टिकल्स के शुरू होने के दिन 18 वर्ष से कम का न हो

(ii) इस विनियमों के तहत या तो उसने फाउण्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या फाउण्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने से उसको छूट प्राप्त हो गई हो बशर्ते कि जिन स्नातक प्रत्याशियों ने एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें स्वयं को आर्टिकल्स क लर्कस के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए ग्राह्य माना जायेगा ।"

VIII विनियम 46 के वर्तमान उप विनियम (5) को निकाल कर निम्न अनुसार संशोधन किया गया है जिसके नए नंबर परवर्ती उप विनियम (5), (5) तथा (7) होंगे ।

IX विनियम 51 के वर्तमान उप विनियम (2) में निम्न अनुसार संशोधन किया गया है :—

"(2) व्यवहारिक प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि के विगत वर्ष के मध्य औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि 9 महीनों से 12 महीनों के मध्य की श्रृंखला मानी जायेगी ।"

X विनियम 57 के वर्तमान उप विनियम (3), उप-विनियम (3) के रूप में परवर्ती उप विनियम (4) के नए नम्बर में निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :—

"(3) उपरोक्त उप विनियम (ए) अथवा उप विनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में उप विनियम 46 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू माने जायेंगे किंतु आर्टिकल्ड क्लर्क को किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा ।" (प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अतः यहां पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है)

XI वर्तमान उप विनियम 60 को निम्न अनुसार परिवर्तित किया गया है ।

"60 आर्टिकल्ड क्लर्क के लिए कार्यकारी घंटे

कौंसिल द्वारा निर्गमित निर्देशों के अनुसार आर्टिकल्ड क्लर्क के कार्यकारी घंटे प्रति सप्ताह 35 घंटे होंगे जो समय-समय पर प्रिंसीपल द्वारा नियमित किए जायेंगे ।"

XII. वर्तमान विनियम 64 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

"64 कौंसिल को प्रतिवेदन

(1) प्रिंसीपल आर्टिकल्ड क्लर्क द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का पूरा हिसाब किताब और उसकी प्रगति का रिकार्ड इस प्रकार रखेगा जो कौंसिल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा ।

(2) जब भी कौंसिल द्वारा अपेक्षित समझा जायेगा प्रशिक्षण का पूरा रिकार्ड प्रिंसीपल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा । प्रिंसीपल के निधन हो जाने पर उसके कानूनी प्रतिनिधि अथवा जीवित पार्टनर उस रिकार्ड को कौंसिल के पास प्रस्तुत करेंगे, जैसे भी और जब भी कौंसिल चाहेगी ।"

XIII. विनियम 68 के वर्तमान उप विनियम (5) में निम्न अनुसार संशोधन किया गया ।

"(5) आडिट क्लर्क के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार किसी भी सदस्य को होगा किंतु उस व्यक्ति को निम्नलिखित दरें जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आडिट क्लर्क का स्थान कहां है, पर वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास अथवा प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स संस्थान, जिसमें वह पार्टनर है, में नियुक्त करने का अधिकार होगा :—

(ए) 10 लाख अथवा अधिक की आबादी वाले शहरों में रु० 750/— प्रतिमाह

(बी) दस लाख से कम आबादी वाले शहरों/कस्बों में रु० 500/— प्रतिमाह

स्पष्टीकरण

उप नियम के उद्देश्य के लिए आबादी के आंकड़ों का आंकलन अन्तिम प्रकाशित भारत की जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा ।"

XIV. वर्तमान विनियम 69 (1) (बी) में निम्न अनुसार संशोधन किया गया है :—

"(बी) ऐसा कोई भी व्यक्ति

(I) आडिट सेवा शुरु करने के दिन 18वर्ष से कम आयु का नहीं है ।

(II) फाउण्डेशन परीक्षा या तो उत्तीर्ण कर चुका है या इन विनियमों के तहत फाउण्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त कर सका हो ।

बशर्ते जिन स्नातकों ने एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें आडिट क्लर्क के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराए जाने के लिए ग्राह्य माना जायेगा ।"

XV. विनियम 69 के वर्तमान उप विनियम (5) को हटाकर नया नंबर परवर्ती उप विनियम (5) और (6) लागू किया गया है ।

XVI. विनियम 72 के वर्तमान उप विनियम (2) में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है

"(2) औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि व्यवहारिक प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि के अन्तिम वर्ष के मध्य 9 माह से 12 माह के मध्य होगा ।"

XVII अनुसूची "ए" में वर्तमान फार्म "10" के उपरांत निम्नलिखित "ए 10" और जोड़ दें :—

"फार्म 10 ए

(देखें विनियम 40)

अनुक्रमांक ————————

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

प्रतिरूप

फाउन्डेशन परीक्षा प्रमाणपत्र

यह अभिप्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ———————— निवासी————————————

ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया द्वारा आयोजित फाउण्डेशन परीक्षा माह ———————— सन् 19—— में उत्तीर्ण कर ली है ।

आज दिवस————सन् 19———— को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की सामान्य मुहर के अन्तर्गत प्रदत्त

सील सचिव"

अनुसूची "बी" में

(I) पैरा 1 के अन्त में निम्नलिखित नया पैरा 1 ए जोड़ें :—

(1 II) फाउन्डेशन परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एवं पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र 1—लेखांकन के मौलिक तत्व

(एक प्रश्न पत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : बुनियादी ज्ञान

उद्देश्य : सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराने का विश्वास दिलाना जो व्यावसायिक परीक्षा की नींव मजबूत करने के उद्देश्य से पर्याप्त है ।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. मापन विषय, आय विषय के रूप में एकाउंटिंग तथा सम्बद्ध एकाउंटिंग विचार । अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी से एकाउंटिंग का संबंध । समाज में एकाउन्टैन्ट की भूमिका ।

2. गलतियों के शुद्धीकरण सहित कच्चा चिट्ठा (ट्रायल बैलेंस) तैयार करने तथा अन्तिम एकाउन्टस (गैर-निगमित तत्व के लिए) तैयार करने के संबंध में एकाउंटिंग प्रक्रिया

3. मूल्य ह्रास एकाउंटिंग तथा उनकी पद्धतियां

4. इन्वेन्टरी वैल्यूशन

विशेष व्यवसाय कार्रवाई के लिए एकाउंटिंग

(ए) प्रेषण

(बी) संयुक्त जोखिम

(सी) औसतन नियम विधि, तथा

(डी) बिल्स आफ एक्सचेंज एवं प्रामिजरी नोट्स

6. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स

7. भागीदारी एकाउन्टस में साधारण समस्याएं

8. प्राप्ति एवं भुगतान एकाउन्ट तथा आय एवं व्यय एकाउन्ट तथा तुलन पत्र जिसमें व्यावसायिक संस्थानों के एकाउन्ट भी सम्मिलित हैं ।

प्रश्नपत्र-2 मर्केन्टाइल लॉ

(एक प्रश्न पत्र—समय 3 घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : बुनियादी स्तर

उद्देश्य : विद्यार्थी के कानूनन संबंधी प्रावधानों की उन शाखाओं का ज्ञान हासिल कर लिया है जिसके लिए वे अपने व्यावसायिक कार्यों के सामान्यत: लगे रहते हैं—इस बात का विश्वास दिलाना होगा ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 11872 जिसमें इन्डेमिनिटी तथा गारंटी, बैलमेंट एवं प्लेज एवं एजेन्सी ।

2. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

3. वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930

प्रश्नपत्र 3—गणित एवं सांख्यकी

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : बुनियादी ज्ञान

उद्देश्य : इस बात का विश्वास दिलाना कि विद्यार्थी में इस आशय की बुनियादी समझ है कि उसने व्यवसाय समस्याओं के संबंध में उनके प्रारम्भिक क्रियान्वयन तथा महत्वपूर्ण परिमाणात्मक उपकरण के बारे में जानकारी हासिल कर ली है ।

विस्तृत विषय वस्तु

(अनुभाग ए—गणित—अंक 50)

1. अंक आधार एवं दोहरा अंक गणित, प्रदत्त आधार का परिवर्तन, दोहरी भिन्न ।

2. इलानियर, क्वेडरेटिक, एक्सपोनेंशियल एवं लागरिथमिक फुंकसन ।

ब्रेक-ईवन प्वाइंट्स का विचार एवं निर्धारण ।

3. सीरीज सहित अंक गणित एवं रेखागणित अनुक्रम

4. क्रम परिवर्तन एवं जोड़

5. मैट्रीसेस-अर्थ और संचालन, मैट्रीक्स इन्वर्जन-मैट्रीक्स इन्वर्जन द्वारा तथा पाइवोटल रिडक्शन पद्धति द्वारा भी लाइनियर समीकरण की प्रणाली का समाधान ।

6. दो परिवर्तनशील लाइनियर विषमताओं के ग्राफ

7. कैलकुलस

(ए) ट्रिगनोमेटरी का प्रारंभिक ज्ञान : विद्यार्थी को इंटगरल कैलकुलस सीखने के लिए प्रोत्साहन देना जो उद्धृत एंगिल' अतिरिक्त फार्मूले, मल्टीपल एवं सब मल्टीपल एंगल्स, ट्रांसफार्मेशन आफ सम्स इंटू प्रोडक्शन एवं विलोमतः इन्वर्स सर्कुलर की परिभाषा से संबद्ध ट्रिगनोमैट्रिक रेशो की सहायता से किए गए हों ।

(बी) एलीमेंट्स आफ डिफ्रेन्सिएशन, सिंपल एप्लीकेशन आफ डिफ्रेन्शियल को-एफिशिएन्ट्स, मैक्सीमा एवं मिनीमा आफ यूनीवेरिएट फन्कशन्स, रूल्स आफ एन्टीग्रेशन फार इनडेफिनिट एंड डेफीनिट इंटीगरल्स । एकाउंटिंग एवं बिजनेस समस्याओं के संबंध में सिम्पल एप्लीकेशन आफ इंटीग्रेशन ।

(अनुभाग बी—सांख्यिकी—अंक 50)

1. आंकड़ों का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्धन

2. सेन्ट्रल टेंडेंसी एवं डिस्पर्जन के मानदंड

3. कोरिलेशन एवं रिग्रेशन (लाइनियर एवं बाईवेरियट केवल)

4. प्रोबेबिलीटी एवं एक्सेपेक्टेड वैल्यू

5. सैद्धांतिक वितरण के तत्व—बाईनोमियल पाईससन, नार्मल

6. मानक त्रुटियों का विचार, इंटरवल एस्टीमेशन डिटरमिनेशन ऑफ सैम्पस लाइन, टैस्ट्स ऑफ हाईपोथिसिस, एनालिसिस आफ वेरिएंस

7. टाइम सीरीज एवं फोरकास्टिंग

8. इंडेक्स नम्बर्स

9. स्टेटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, पे-आफ एण्ड रिग्रेट मैट्रीसेस संभावना के बिना निर्णय लेना तथा संभावना सहित निर्णय लेना ।

प्रश्नपत्र 4—अर्थशास्त्र

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घंटे—अंक 100)

ज्ञान का स्तर : बुनियादी

उद्देश्य : (1) एकाउन्टैन्ट्स के लिए उपयोगी सीमा तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत के गठन का बुनियादी ज्ञान, तथा

(2) इस बात का विश्वास दिलाना कि विद्यार्थी देश के आर्थिक विकास से सुपरिचित है जो उस समय की सरकार जिसमें अर्थव्यवस्था लागू की गयी है, से संबंधित है ।

विस्तृत विषय वस्तु :

माइक्रो अर्थशास्त्र

1. अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं उसका क्षेत्र, अर्थशास्त्र माडेल्स एवं उनके प्रयोग
2. मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति के नियम, मांग और पूर्ति की मूल्य सापेक्षता, मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तथ्य, मांग की भविष्य वाणी ।
3. उत्पादन का अर्थ, उत्पादन के तत्व, उत्पादन के मापक्रम, लॉ आफ रिटर्न मेजर कम्पोनेंट्स ओफ कास्ट्स ।
4. बाजार के अर्थ, बाजार के प्रकार, मूल्य के सिद्धांत एवं विभिन्न बाजार प्रारूप एवं विभिन्न अर्थशास्त्र पद्धति में उत्पादन निर्धारण ।

भारतीय माइक्रो अर्थ शास्त्र पर्यावरण

1. भारत में आर्थिक विकास—जनसंख्या एवं आर्थिक विकास
2. भारत में कृषि एवं उद्योग की सामान्य रूपरेखा, भारत में आर्थिक प्रगति के लिए उद्योग एवं कृषि के अन्योन्याश्रित संबंध
3. सरकार की औद्योगिक नीति, भारत में औद्योगिक विकास-समस्याएं एवं संभावनाएं
4. भारत में राष्ट्रीय आय—सिद्धांत एवं क्रियान्वयन
5. भारत में वित्तीय नीति
6. भारतीय आर्थिक सिद्धांत—वाणिज्यिक बैंकों एवं भारतीय रिजर्व बैंकों के क्रियाकलाप

7. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार–निर्यात एवं आयात, व्यापार के शेष एवं भुगतान

(ii) पैरा 2 के अंत में निम्नलिखित नया पैरा "2ए" जोड़ें 66(2ए) : इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एवं पाठ्यक्रम

समूह–1

प्रश्नपत्र 1—एडवांस्ड एकाऊंटिंग

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घंटे—अंक 100)

ज्ञान का स्तर : कार्यकारी ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थी की इस आशय की योग्यता की परीक्षा लेना वह प्रचलित कानूनी अपेक्षाओं एवं व्यावसायिक मानकों के अनुसार व्यावसायिक तथा अन्य संस्थानों के वित्तीय मामलों एवं आर्थिक सौदों को प्रभावित करने वाले एकाउंटिंग रिकार्डस एवं अंतिम एकाउन्ट्स तैयार कर सकने के योग्य है ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. विभागीय एकाउन्ट्स एवं ब्रांच एकाउन्ट्स (विदेशी शाखाओं सहित) रायल्टी, किराया-खरीद एवं किस्त आधार पर बिक्री सौदे, इन्वेस्टमेंट एकाउन्ट्स पैकेजेज एवं एम्पटीज, गुड्स ऑन सेल अथवा रिटर्न बायेज एकाउन्ट्स, कान्ट्रैक्ट एकाउन्ट्स, स्टाक की क्षति के लिए बीमा दावों का आंकलन ।

2. कृषि फर्मों के एकाउन्ट्स

3. भागीदारी एकाउन्ट्स की उच्चस्तरीय समस्याएं

4. कम्पनी एकाउन्ट्स–शेयर्स एवं डिबेंचर्स का निर्गमन एवं शेयर्स तथा डिबेंचर्स की पुनः प्राप्ति, कम्पनी के अंतिम एकाउन्ट्स तैयार करना ।

5. बैंकिंग, बीमा एवं निजी कंपनियों के अंतिम एकाउन्ट्स तैयार करना ।

6. विलयन, समावेशन एवं पुनर्गठन संबंधी साधारण समस्याएं

7. स्टेटमेंट आफ अफेयर्स (जिसमें डिफीसेंशी/सरप्लस एकाउन्ट्स सम्मिलित है) तथा कम्पनी बंद करने संबंधी परिसमापन के स्टेटमेंट आफ एकाउन्ट्स

8. अपूर्ण रिकार्डों के एकाउन्ट्स तैयार करना (सिंगल एंट्री)

9. साधारण रेशो एनालिसिस

10. सरकारी एकाउंटिंग पद्धति की प्रस्तावना

प्रश्नपत्र–2 आडिटिंग

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घंटे—अंक 100)

ज्ञान का स्तर : कार्यकारी ज्ञान

उद्देश्य : आडिटिंग की तकनीक, एवं प्रक्रिया तथा सामान्य व्यवहार्य परिस्थितियों में उनके क्रियान्वयन की योग्यता के संबंध में विद्यार्थी की समझ का परीक्षण करना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. आडिटिंग :—प्रकृति और क्षेत्र, आडिट प्रक्रिया, आडिट के उद्देश्य आडिट से संबंधित मूल सिद्धांत, आडिट के प्रकार, अन्य विषयों के साथ आडिट का संबंध, इंटरनल आडिट तथा एक्सटर्नल आडिट ।

2. आडिट का संचालन :—आडिट कार्यक्रम, वर्किंग पेपर्स, आडिट नोट बुक्स, आडिट फाइल्स–स्थायी आडिट फाइल्स ।

3. आडिट एवीडैंस, फिजिकल वेरीफिकेशन, डाकूमेंटेशन, स्कैनिंग, डायरेक्ट कनफर्मेशन, रिकम्प्यूटेशन, प्रमाणपत्र प्राप्त करना ।

4. आंतरिक नियंत्रण पद्धति का आंकलन–विस्तृत चेकिंग की आवश्यकता और उसका प्रभाव ।

5. परख चेकिंग—परख (टेस्ट) चेकिंग की पद्धतियां-स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग के घटक

6. भुगतान का आडिट–सामान्य विचार—पारिश्रमिक—पूंजीगत व्यय अन्य भुगतान एवं खर्चे–छोटे भुगतान, बैंक मोटे नगर में और बाहर भुगतानों का आडिट, रोकड़ भुगतान, बैंक खाते के साथ बैंक विवरण का मिलान

7. रसीदों का आडिट–सामान्य विचार–नगर बिक्री–ऋणों से प्राप्ति अन्य प्राप्तियां

8. खरीदों की आडिट–नगद और उधार खरीदों की वाउचरिंग–फार्वर्ड खरीद–पर्चेजज रिटर्नस

9. बिक्रियों की आडिट–नगर व उधार बिक्री–मालप्रेषण—स्वीकृति आधार पर बिक्री-किराया खरीद अनुबंध के तहत बिक्री–लौटाए जाने वाले पात्र (कन्टेनर)—उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न छूटें—सेल्स रिटर्नस—सेल्स लेजर

10. आडिट आफ सप्लायर्स लेजर एवं डेबिटर्स लेजर–सेल्फ बैलेंसिंग एवं सेक्शनल बैलेंसिंग प्रणाली–कुल अथवा नियंत्रित एकाउन्टस-लूज लीफ एवं कार्ड लेजर्स-उधार उपभोक्ताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं से कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट न चुकता किए जाने वाले एवं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान ।

11. आडिट आफ इमपर्सेल लेजर–पूंजीगत व्यय, बट्टेखाते वाले आय व्यय एवं आय व्यय-बकाया खर्चे एवं आय-मरम्मत एवं नवीनीकरण–रिजर्वस तथा प्राविजन्स के मध्य अंतर एकाउंटिंग के आधार में परिवर्तन स्वरूप अर्थापत्ति ।

12. पूंजी का मूल्यांकन एवं जांच-सामान्य सिद्धांत अचल पूंजी रद्द पूंजी वर्तमान पूंजी जिसमें कैश-इन-हैंड तथा बैंक में दोनों सम्मिलित है—इन्वेस्टमेंटस इन्वेन्ट्री-फ्री होल्ड तथा लीज की सम्पत्ति, ग्रहण, प्राप्त होने वाले बिल्स, विधि ऋण, संयंत्र तथा मशीनरी, पेटेन्टस

13. देयताओं की जांच

14. अपूर्ण रिकार्डों की आडिट

15. विभिन्न प्रकार के संस्थानों अर्थात शैक्षिक संस्थानों, होटल्स, क्लबों, अस्पतालों, किराया खरीद तथा लीजिंग कम्पनियां

इत्यादि (जिसमें बैंक, बिजली कम्पनियां, सहकारी समितियां तथा बीमा कम्पनियां सम्मिलित नहीं है) के आडिट के संबंध में विशेष बिन्दु

16. लिमिटेड कम्पनियों का आडिट–आडिटर्स की नियुक्ति, आडीटर्स को हटाना, आडीटर्स के अधिकार तथा कर्तव्य, आडीटर्स प्रतिवेदन, शेयर पूंजी का आडिट, शेयरों का हस्तांतरण ।

17. सरकारी आडिट की विशेषताएं–कम्पट्रोलर एंड आडीटर जनरल और उसकी वैधानिक भूमिका–सरकारी आडिटिंग के मूल सिद्धांत ।

18. ई०डी०पी० वातावरण में आडिटिंग–मूल विचार

प्रश्नपत्र 3–निगमित तथा अन्य अधिनियम

(एक प्रश्नपत्र–समय–तीन घंटे–100 अंक)

ज्ञान का स्तर–कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : कतिपय निगमित एवं अन्य नियमों के उपबंधों के साधारण बोध की जांच तथा उनका व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग

विस्तृत विषय वस्तू

1. दि कम्पनी एक्ट, 1956 धारा 1 से 145
2. दि नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881
3. दि पेमेंट आफ बोनस एक्ट, 1963

निम्नलिखित अधिनियमों का मूलभूत ज्ञान

4. दि पेमेंट आफ ग्रेटयूटी एक्ट, 1972
5. दि एम्पलाईज प्राविडैन्ट फन्ड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, 1952
6. दि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860
7. दि को-आपरेटिव सोसाईटीज एक्ट, 1912

ग्रुप II

प्रश्नपत्र 4–लागत लेखा विधि (कोस्ट एकाउंटिंग)

(एक प्रश्न पत्र—3 घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर–कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य–लागत आंकलन संकल्पनाओं की समझ कर निर्धारण तथा लागत आंकलन की विधियों तथा प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग

विस्तृत विषय वस्तु

1. लागत आकलन का उद्देश्य, महत्व तथा लाभ, लागत संकल्पनाओं लागत आकलन के प्रकार, लागत आकलन पद्धति का प्रतिष्ठापन, एक अच्छी लागत आकलन पद्धति की अनिवार्यताएं, लागत आकलन विधि तथा आर्थिक लेखा विधि का अंतर, लागत आकलन के मूल तत्व, लागत एकक एवं लागत केन्द्र

2. सामग्री

(क) सामग्री क्रय करने की पद्धति, उसकी प्राप्ति तथा निरीक्षण

(ख) सामग्री का नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य, सामग्री का वर्गीकरण तथा संहिताकरण, मालद्वीप नियंत्रण पद्धति, भंडार स्तर का नियतन, भंडार की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा, पुनर्भादेश का परिमाण, पुनर्भादेश की सीमा, ए०बी०सी०, दि कोष्ठ पद्धति, सतत मालसूचि प्रणाली, मालद्वीप का प्रत्यक्ष सत्यापन ।

(ग) सामग्री निर्गम कार्यविधि, सामग्री का बीजक, सामग्री की वापसी, सामग्री का स्थानांतरण

(घ) भंडार के अभिलेख, कोष्ठ पत्र के, भंडार खाता बही, विक्रेता तथा भंडार ग्रह को सामग्री की वापसी सहित निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन

(च) छीजन, रद्दी सामग्री, जीर्ण सामग्री, दोषपूर्ण तथा अप्रचलित सामग्री का लेखाकरण

(छ) उपकरणों, नमूनों, रूपांकनों, नीले नक्शों, ठप्पों तथा अल्प अवधि मूल्य की अन्य ऐसी ही परिसंपत्ति के नियंत्रण का लेखाकरण

3. श्रम

(क) श्रम लागत नियंत्रण तथा उसका महत्व, समय लेखा पद्धति, समय अंकण तथा उसके उद्देश्य, समय लेखन की पद्धतियां, समय गति अध्ययन

निष्कार्य समय तथा अतिरिक्त समय पर नियंत्रण तथा लागत लेखन में उसका निरूपण–श्रमिक आवर्त–उसका कारण तथा मापन प्रणाली, श्रमिक आवर्त का प्रभाव, श्रमिक आवर्त को न्यूनतम रखने के उपाय श्रमिक आवर्त की लागत तथा श्रमिक आवर्त की लागत का लेखन में निरूपण

(ख) बोनस तथा प्रेरणामूलक योजनाओं सहित मजदूरी के भुगतान की प्रणालियां, कार्य मूल्यांकन गुण क्रमांकन कार्य मूल्यांकन की प्रणालियां

4. उपरिव्यय

(क) विनिर्माण उपरिव्यय का लेखीकारण तथा नियंत्रण, विनिर्माण उपरिव्यय का समूहीकरण तथा संहिताकरण, संश्लेष एवं विभागीकरण तथा पुनप्रभाजन, उपरिव्यय अंतर्लयन प्रणाली उपरिव्यय के अधिक तथा न्यून अंतर्लयन का निरूपण

(ख) प्रशासनिक विक्रय, तथा वितरण सम्बधी उपरिव्यय का लेखाकरण तथा नियंत्रण,

(ख) लागत लेखों में कुछ विशेष मदों जैसे मूल्यह्रास, पूंजी पर ब्याज, अनुसंधान तथा विकास व्यय, पैक्कारी व्यय तथा अनुषंगी हितलाभ आदि का निरूपण

5. लागत निर्धारण की प्रणालियां जैसे

(1) कार्य लागत निर्धारण

(2) अनुबंध लागत निर्धारण

(3) खेप लागत निर्धारण

(4) प्रक्रिया लागत निर्धारण–संयुक्त उत्पाद तथा उत्पोत्पाद

(5) एकांश लागत निर्धारण

(6) प्रचालन लागत निर्धारण तथा संक्रियात्मक लागत निर्धारण

6. (क) लागत आधार सामग्री तथा सूचनाओं की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण विशेषतया लागत आधार सामग्री को तालिकाबद्ध करना, लागत पत्रक तथा लागत विवरण, लागत निर्धारण अभिलेख तथा नियमों का सामान्य परिचय (उद्योगानुसार ब्यौरा प्रत्याशित नहीं)

(ख) लागत नियंत्रण लेखे, असमेकित लेखे, लागत तथा आर्थिक लेखों का सामाधान, लागत तथा आर्थिक लेखों की समेकित प्रणाली

7. सीमांत लागत आकलन, अर्ध परिवर्तनीय लागत का नियम, लागत तथा परिवर्तनीय लागत भागों में पृथक्करण की प्रणालियां, संतुलन स्तर विश्लेषण की संकल्पना, मानक लागत आकलन तथा प्रसरण विश्लेषण (प्रारम्भिक समस्याएं) बजट नियंत्रण (प्रारम्भिक समस्याएं)

8. एक रूप लागत आकलन तथा अंतः व्यवसाय प्रतिष्ठान तुलना

प्रश्नपत्र 5—आयकर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर (इंकम टैक्स तथा सेन्ट्रल टैक्स)

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य (क) विद्यार्थियों की आयकर नियम के मुख्यभागीय उपबंधों के अंतर्निहित मूल सिद्धांतों की जानकारी की जांच तथा आय के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्ति की आय के अभिकलन में साधारण समस्याओं को हल करने में उनका अनुप्रयोग

(ख) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने केन्द्रीय बिक्री कर नियम के मूल सिद्धांतों का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

परिच्छेद क—आयकर (75 अंक)

विस्तृत विषय वस्तु

आयकर अधिनियम 1961 में दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे कृषि, आय कर निर्धारित, कर निर्धारण वर्ष, पूंजीगत परिसंपत्ति, कंपनी, भारतीय कंपनी जिसमें जनता की मुख्य रूप से अभिरूचि है, धर्मार्थ उद्देश्य, लाभांश, आय व्यक्ति, अल्पावधि पूंजीगत परिसंपत्ति, हस्तांतरण।

— पिछले वर्ष की संकल्पना

— प्रभार का आधार, आवासी हैसियत तथा पूर्ण आय का विषय क्षेत्र

— भारत में प्राप्त की गई मानी हुई/अर्जित हुई मानी गई आय

— आय जो कुल आय का भाग नहीं होती

— आय की मद तथा विभिन्न मदों में आय के अभिकलन से संबंधित अनुबंध

— अन्य व्यक्तियों की कुल आय का निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित करना

— आय का समूहन तथा हानि का संमजन या हानि का अगले लाभ में घाटा पूर्ति

— सकल आय में से कटौतियां

— आय कर प्राधिकारी, नियुक्तियां, नियंत्रण, अधिकार क्षेत्र तथा शक्ति

— निर्धारण की कार्यविधि, अपील तथा पुनरीक्षण, विद्यार्थियों से आशा की आती है कि वे उपरोक्त क्षेत्रों में कर निर्धारिती की हैसियत से संबंधित साधारण समस्याओं को हल करेंगे।

खंड ख—बिक्री कर (25 अंक)

केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1956

प्रश्नपत्र 6—संगठन एवं प्रबन्ध एवं इलैक्ट्रानिक द्वारा प्रोसेसिंग के मूल तत्व

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घण्टे—100 अंक)

भाग ए—संगठन एवं प्रबंध (50 अंक)

ज्ञान का स्तर—कार्य साधक ज्ञान

उद्देश्य : यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों ने व्यवसायिक लेखापालों से संबंधित संगठन एवं प्रबंध के विभिन्न संकल्पनाओं तथा प्रकार्यों को हृदयंगम कर लिया है ;

विस्तृत विषय वस्तु

1. भूमिका

संगठन एवं प्रबंध की मूल संकल्पनाएं संगठन का स्वरूप एवं प्रकार—संगठन के मूल तत्व तथा अर्थव्यवस्था एवं समाज में उनकी भूमिका

प्रबंध—एतिहासिक विकास-प्रबंध के सिद्धांतिक परिप्रेक्षय-प्रबंध के तत्व, प्रक्रिया एवं प्रकायसंगठन एवं प्रबंध पर वातावरण का प्रभाव—संगठन के उद्देश्य—प्रबंध का सामाजिक दायित्व

2. आयोजन तथा निर्णयन

आयोजन तथा निर्णयन की मूल संकल्पनाएं—प्रबंध के अन्य कार्यों से उनका संबंध—आयोजन तथा निर्णयन के तत्व, तकनीक तथा प्रक्रिया—आयोजन तथा निर्णयन के प्रकार—आयोजन तथा निर्णयन का कार्यान्वयन

3. संगठन तथा कर्मचारी भर्ती

संगठन तथा कर्मचारी भर्ती की मूल संकल्पनाएं—संगठन का संरचनात्मक रूपांकण तथा उसका महत्व, विभागीकरण, नियंत्रक की विस्तृति, प्रत्यायोजन, केन्द्रीयकरण, अनुक्रम—प्रबंधक इत्यादि संगठन की पारम्परिक एवं अर्वाचीन संरचनाएं-संगठन तथा कर्मचारी भर्ती के सिद्धांत, लेखाकरण एवं वित्तीय प्रकार्यों में उसका अनुप्रयोग, डाटा संकपल्नाएं—क्षेत्र, अभिलेख, मिसिल तथा मिसिल संरचना।

4. निर्देशन तथा नेतृत्व

मूल संकल्पनाएं तथा तकनीक, संप्रेषण, अभिप्रेरण तथा नेतृत्व, प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण—संगठनात्मक व्यवहार की संकल्पना, सिद्धांत तथा अनुप्रयोग

5. नियंत्रण तथा समन्वय

नियंत्रण तथा समन्वय की मूल संकल्पनाएं, तत्व, प्रक्रिया एवं तकनीक

खण्ड ख—इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के मूल तत्व (50अंक)

ज्ञान का स्तर—बुनियादी जानकारी

उद्देश्य—इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के स्थूल स्वरूप तथा मूल तत्वों की जानकारी तथा गुण विवेचन सुनिश्चित करना

विस्तृत विषय-वस्तु

1. डाटा प्रोसेसिंग के तत्व—डाटा, सूचना आगत (इनपुट) संसाधन (प्रोसेसिंग) तथा उत्पाद (आउटपुट)
2. कम्प्यूटर्स तथा उनकी विशेषताएं, कम्प्यूटरों का संक्षिप्त इतिहास, कम्प्यूटर हार्डवेयर—कम्प्यूटर की आधारभूत संक्रियाएं—मुख्य ढांचे-लघु कम्प्यूटर्स-माईक्रो कम्प्यूटर्स
3. आगत उपकरण—चुम्बकीय टेप, चुम्बकीय डिस्क, फ्लौपी डिस्क, एम०आई०सी०आर०, ओ०सी०आर०, वी०डी० यू० आदि।

— आउटपुट उपकरण—प्रिन्टर्स, वी०डी०यू०, कम्प्यूटर आउट-पुट, माइक्रोफिल्मिंग

— ट्रर्मिनल्स तथा डाटा कम्यूनिकेशन-नेटवर्कस, डिस्ट्रब्यूटिड सिस्टम्स

— सोफ्टवेयर-सिस्टम्स, अनुप्रयोग सोफ्टवेयर, स्पेसिफिकेशन सोफ्टवेयर

— इलैक्ट्रोनिक स्परेड शीट, वर्ड प्रोसिसिंग, डाटा बेस मैनेज-मेंट सिस्टम

— डाटा रिप्रेजैन्टेशन—बाईनरी, बी० सी० डी० ओक्टल हैक्साडेसीमिल, ई०बी०सी०डी०आई०सी० तथा ए०एम० सी०आई०आई०

— कम्प्यूटर मैमोरी के प्रकार, कोर, सैमी कंडक्टर, आर० ए० एम०, आर०ओ०एम० बबल मैमोरी एड्रेसिंग से संबंधित संकल्पनाएं

4. कंपयूटर प्रोसेसिंग तकनीक, बैच प्रोसेसिंग, ओन लाईन प्रौसेसिंग, मल्टीप्रोग्रामिंग, टाईम शेयरिंग, वास्तविक टाईम प्रोसेसिंग, डाटा बेस डिस्ट्रब्यूटिड बनाम सैवट्रालाइजड डाटा बेस के विशेष लक्षण व्यवसायिक कम्पयूटरों से संबंधित, कम्पयूटर टैक्नोलांजी में अति आधुनिक उन्नति
5. फ्लो चार्टस से परिचय सिस्टम्स फ्लो चार्टस, रन फ्लो चार्टस, प्रोग्राम फ्लो चार्टस, उदाहरण, लाभ तथा परिसीमाएं, डिसिजन तालिकाएं—प्रकार, उदाहरण, लाभ तथा परिसीमाएं
6. कम्पयूटर प्रोग्रामिंग से परिचय, कम्पयूटर भाषाओं की सोपानिक कोब्रेल तथा बेसिक भाषाओं का प्रयोग करते हुए साधारण प्रोग्रामिंग लेखन

(iii) पैराग्राफ 3 के अंत में निम्नलिखित पैराग्राफ 3 क जोड़ें

3क—अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तथा पाठ्यक्रम

ग्रुप- I

प्रश्नपत्र 1—उच्च स्तरीय लेखाविधि

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर—विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य—विद्यार्थियों की लेखाविधि संबंधी व्यवसायिक स्तर, सिद्धांत एवं प्रक्रिया तथा विभिन्न व्यवहारिक स्थितियों में उनके अनुप्रयोग की क्षमता को जांचना।

विस्तृत विषय-वस्तु :

1. कम्पनी लेखाकरण की उच्च स्तरीय समस्याएं
2. संलयन, अंतर्लयन तथा पुनर्रचना की उच्चतर समस्याएं
3. कारोबार तथा शेयरों का मूल्यांकन
4. नियंत्रक, कम्पनी के समेकित लेखे
5. लेखाकरण का स्तर, विभिन्न लेखा संबंधी पक्षों पर संस्थान द्वारा जारी किए गए विवरण तथा निर्देशात्मक टिप्पणियां तथा उपरोक्त विषयों के संदर्भ में उनका अनुप्रयोग
6. लेखाकरण में विकास, मुद्रास्फीति समायोजित लेखे, मानव संसाधन लेखाकरण, सामाजिक लेखाकरण एवं मूल्य सहित विवरण
7. आर्थिक विवरणों की परिसीमाएं

   आर्थिक डाटा के अर्थ निर्णय तथा विश्लेषण सहित आर्थिक विवरणों का अर्थ निर्णय एवं विश्लेषण, अनुपातिक विश्लेषण, दो विभिन्न अनुपातों द्वारा प्रति जांच, अनुपातों की परि-सीमाएं, विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण तथा अंत: प्रति-ष्ठान तुलना
8. नकदी प्रवाह, निधि के उद्गम तथा अनुप्रयोग संबंधी विवरण
9. गैर लाभार्जन करने वाली संस्थाओं तथा जन सेवाओं के लेखाकरण के विशेष लक्षण

प्रश्नपत्र 2 प्रबंधक लेखाकरण एवं वित्तीय विश्लेषण

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर—विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य—यह जांच करना कि क्या विद्यार्थियों ने सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित संगठनों के प्रबंध लेखाकरण तथा संबंधित प्रबंध संबंधी निर्णयन की संकल्पनाओं तथा तकनीक की जानकारी प्राप्त कर ली है।

विस्तृत विषय-वस्तु

1. वित्तीय प्रबंध का अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य—प्रबंधक के कार्य
2. अल्पावधि तथा दीर्घावधि वित्तीय आयोजन तथा पूर्वानुमान, प्रारम्भिक औद्योगिक बीमारी का पूर्वकथन—

प्रचालन तथा वित्तीय लीवरेज-लागत आयतन लाभ विश्लेषण—

3. चालू पूंजी का प्रबंध-रोकड़ प्रबंध, होनेवाली प्राप्तियों का प्रबंध सूची प्रबंध और धन लगाना या चालू पूंजी ।

4. दीर्घावधि तथा अल्पावधि-वित्त व्यवस्था के स्रोत, बोनस शेयरों सहित पूंजी जारी करने पर नियंत्रण, पूंजी संरचना, अंशलाभ की नीति-पट्टा वित्त व्यवस्था-शेयरों तथा प्रतिभूतियों का जारी करना प्रतिभूतियों को सूचिबद्ध करना-

5. पूंजी का बजट बनाना-परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना-वित्तीय प्रक्षेपण-पे बैंक प्रणाली सहित पूंजीगत परियोजनाओं के मूल्यांकन की तकनीक-प्रतिफल की दर-बट्टागत नकद प्रवाह-शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा आंतरिक प्रतिफल की दर प्रणालियां-पूंजी न्याय वाटन (राशनिंग) पूंजीगत बजट बनाने में तथा जोखिम निवेश में जोखिम विश्लेषण-सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, पूंजी के बजट नियंत्रण में नेटवर्क तकनीकी—पी० ई० आर० टी० तथा सी० पी० एम०

6. पूंजी की लागत-पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत-पूंजी की भारित औसत लागत—पूंजी की सीमान्त लागत

7. बजट तथा बजट नियंत्रण-मूल बजट की ओर अग्रसर होने के लिए उत्तरदायित्व बजट समेत प्रकार्यक्रम बजट, नियम तथा नम्य बजट निष्पादन बजट शून्य आधारित बजट बनाना, विभिन्न स्तरों पर निष्पादन प्रतिवेदन करना

8. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से सावधिक कर्जों की बातचीत करना भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधिक कर्जों की समीक्षा

9. निवेश विभाग का प्रबंध प्रतिभूतियों का चुनाव बेचने तथा खरीदने के निर्णय का समय

10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रबंध के विशेष लक्षण

11. मुद्रास्फीति तथा वित्तीय प्रबंध

12. निर्गमित कर व्यवस्था तथा उसका निर्गमित वित्त व्यवस्था पर प्रभाव

13. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध से परिचय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साधन जुटाना तथा विनिमय दर जोखिम प्रबंध, विदेशी मुद्रा में सौदे ।

प्रश्नपत्र 3—एडवान्स्ड एवं मैनेजमेंट आडिटिंग

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर—विशेषज्ञ स्तर

उद्देश्य : यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने चालू लेखा परीक्षण प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया है और क्या वे उन्हें विविध प्रकार की व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. लेखा परीक्षण का आयोजन तथा कार्यक्रम बनाना ।

लेखा परीक्षण कार्य के प्रवाह का आयोजन अन्तरिम लेखा परीक्षण, अविराम लेखा परीक्षा, सहायकों के विभिन्न स्तरों के बीच काम बंटवारा पर्यवेक्षण की समस्याएं लेखा परीक्षण टिप्पणियों तथा कार्यपत्रों का पुनर्निरीक्षण प्रधान का अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन का प्रश्न लेखा परीक्षण कार्य गुणवत्ता पर नियंत्रण, अन्य लेखा परीक्षक/आन्तरिक लेखा परीक्षक/किसी विशेषज्ञ पर विश्वास

2. आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण

आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का मूल्यांकन प्रश्नावली तथा प्रवाह चार्ट सहित तकनीक आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण, दोनों में समन्वय

3. विशेष लेखा परीक्षण तकनीक

चयनात्मक सत्यापन, सांख्यिकीय नमूना चयन विशेष लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं परिसंपत्ति के भौतिक सत्यापन की साक्षी करना—देनदारों तथा लेनदारों का सीधा वृत्तुलीकरण (सरकुलाइजेशन)

खातों का सक्षक आधार पर पुनर्निरीक्षण-वित्तीय स्थिति विवरण का लेखा परीक्षण-अनुपात विश्लेषण आदि, लेखा परीक्षण की कार्य पटुता में सुधार-पद्धति लेखा परीक्षण एवं जोखिम आधारित लेखा परीक्षण

4. सीमित दायित्व वाली कंपनियों का लेखा परीक्षण

(क) लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व बनाम

(1) कंपनी नियम के अंतर्गत संवैधानिक उत्तरदायित्व

(2) शाखाओं का लेखा परीक्षण

(3) संयुक्त लेखा परीक्षण

(ख) कंपनियों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में सत्य तथा उचित एवं महत्वपूर्णता की संकल्पनाएं

(ग) प्रबंध से सूचनाएं तथा व्याख्याएं प्राप्त करने का महत्व तथा उन पर विश्वास करने की मात्रा

(घ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन-शर्तें-खातों पर टिप्पणियां, खातों पर टिप्पणियों तथा शर्तों में अंतर, प्रबंधकों को संवैधानिक लेखका परीक्षक द्वारा विस्तृत लेख टिप्पणी बनाम सदस्यों को सूचित करने का दायित्व विवरण पत्रिका के लिए विशेष प्रतिवेदन

(घ) अंशलाभ तथा विभाज्य लाभ मूल्य ह्रास के विशेष संदर्भ में वित्तीय विधिक तथा नीति संबंधी अनुचिंतन

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा परीक्षण में विशेष बिन्दु-धारा 619 के अंतर्गत कम्पट्रोलर एंड आडीटर जनरल द्वारा दिए गए निर्देश औचित्य तथा कार्यक्षमता लेखा परीक्षण की संकल्पनाएं

6. विशेष लेखा परीक्षण
7. लागत लेखा परीक्षण
8. प्रमाणीकरण

   बोमसं की अदायगी नियम/आयात/नियति प्राधिकारियों के अंतर्गत दिए गए प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन का अंतर, गैर लेखा परीक्षण ग्राहकों को निर्दिष्ट सेवा

9. अण्वेषन

   अंतर्लपन, पुनर्संरचना तथा कारोबार के बेचने खरीदने जैसी योजनाओं के संदर्भ में अन्वेषण

10. आय कर नियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत लेखा परीक्षण
11. बैंकों, बीमा कंपनियों तथा सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण की विशेष अभिलक्षण
12. विवरण/मानक तथा निर्देशन टिप्पणियां, लेखाकारण मान, लेखाकारण तथा लेखा परीक्षण के मामलों से संबंधित संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षण संबंधी पृथाओं पर विवरण तथा निर्देशन टिप्पणियां—साधारणतया स्वीकृत लेखा परीक्षण पृथाओं की संकल्पना-और उनके संदर्भ में लेखा परीक्षण तथा उसका महत्व ।
13. लेखा परीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व-अन्य पक्ष के प्रति दायित्व प्रकृति तथा सीमा
14. वृत्तक नीति शास्त्र तथा व्यवहार संहिता
15. संक्रियात्मक प्रबंध एवं लेखा परीक्षण की संकल्पना—इसकी प्रकृति एवं उद्देश्य संगठन-लेखा परीक्षण कार्यक्रम-व्यवहारात्मक समस्याएं
16. आंतरिक नियंत्रण का पुनर्निरीक्षण, क्रय संक्रिया, विनिर्माण परिचालन, विक्रय तथा वितरण, कार्मिक नीतियां, प्रणाली तथा प्रक्रिया समेत प्रबंध एवं प्रचालन लेखा परीक्षण के निर्दिष्ट क्षेत्र
17. बैंक से ऋण लेनेवालों का लेखा परीक्षण, स्टाक एक्सचेंज के दलालों का लेखा परीक्षण जैसे विशेष लेखा परीक्षण नियम कार्य
18. संगणक लेखा परीक्षण, ई०डी०पी० लेखा परीक्षण की निर्दिष्ट समस्याएं, आंतरिक नियंत्रण, विशेषतया प्रक्रिया नियंत्रण तथा सुविधा नियंत्रण, के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता, ई०डी०पी० निर्गत के लेखापरीक्षण की तकनीक, आंतरिक तथा प्रबंध लेखा परीक्षण उद्देश्यों के लिए संगणक का प्रयोग—जांच गड्डियां (टेस्ट पैक्स), संगणकीय लेखा परीक्षण कार्यक्रम, संगणक पद्धति के लागू करते समय लेखा परीक्षक की अंतर्भावितता

प्रश्नपत्र 4—निगमित नियम एवं सचिविक प्रैक्टिस

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर—विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थी की कम्पनी अधिनियम तथा संबंधित कानूनों की तथा उनके व्यवहारिक प्रयोग की जानकारी की जांच करना ।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. दि कम्पनीज एक्ट 1956 (धारा 146 के अंत तक)
2. दि मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रैड प्रैक्टिजिस एक्ट 1969
3. दि फोरम एक्सचेंज रेगूलेशन एक्ट 1973
4. दि कैपीटल इशूज (कन्ट्रोल) एक्ट 1947 तथा उसके आधीन जारी किए गए छूट के आदेश
5. दि सिक इंडस्ट्रीज कंपनी (स्पेशल प्रोविजनस) एक्ट, 1985
6. कानून, विलेख एवं प्रलेख के अर्थ निरुपण के नियम
7. सचिविक पद्धति एवं अभ्यास का अभिकलन

ग्रुप II

प्रश्नपत्र 5—उच्चस्तरीय लागत लेखाविधि एवं लागत विधि

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

जानकारी का स्तकर : विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थियों की लागत लेखा विधि के सिद्धांतों एवं प्रक्रिया की समझ तथा प्रबंध संबंधित निर्णयन के लिए विभिन्न स्थितियों में उनका प्रयोग करने की क्षमता की जांच करना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. लागत वर्गीकरण एवं विश्लेषण
2. निर्णयन में लागत संकल्पना-संगत लागत, विभेद लागत, वर्ष मान लागत, तथा विकल्प लागत
3. सामान्य लागत—सीमांत लागत एवं

   अवशोषण लागत का अंतर, संतुलन स्तर विश्लेषण, लागत-आयतन-लाभ विश्लेषण, संतुलन स्तर चार्ट, अंशदायी सीमा-तथा निर्णयन से संबंधित समस्याएं जैसे "बनाए या खरीदें" "कामबंदी या जारी रखना", "विस्तार या संकोचन", विशेष अवस्थाओं में मूल्य निर्धारण, उत्पाद संबंधी निर्णय

4. निर्णयन की समस्याएं जैसे "रखे या बदले", "मरम्मत करवाये या नया बनाएं", "अभी या बाद में", "परिवर्तन अथवा पूर्ववत", "बेचे या और प्रक्रिया करें", "अपना खरीदे या किराए पर ले", "बेचे या रद्दी कर दे या रखें", "मूल्य संबंधी निर्णय, उत्पाद संबंधी निर्णय, विपणन तथा वितरण संबंधी निर्णय, उत्पाद विकास, प्रतियोगात्मक मूल्य निर्धारण, विभेदक मूल्य तथा बट्टे तथा मूल्य निर्धारण/विपर्णन दांवपेंच
5. लागत निर्धारण से भिन्न, लागत नियंत्रण छीजन पर नियंत्रण, रद्दी, रद्दी उत्पाद तथा दोषपूर्ण उत्पाद
6. प्रबंध नियंत्रण—उत्तरदायित्व लेखाकारण, लागत, लाभ, तथा निवेश केन्द्र, अंशदान दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण मूल्यांकन की समस्याएं
7. मानक लागत निर्धारण तथा प्रसारण विश्लेषण, सामग्री, श्रम तथा उपरिव्यय, प्रसरण का समाचार लेखन

8. लागत में कमी-लागत में कमी के तकनीक जैसे कार्य अध्ययन, समय तथा गति अध्ययन एवं मूल्य विश्लेषण ।

प्रश्नपत्र 6—पद्धति विश्लेषण, आधार सामग्री का संसाधन तथा परिमाणनीय तकनीक

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घण्टे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर—कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : (1) विद्यार्थियों की पद्धति विश्लेषण तथा अभिकलन की तकनीक को व्यवसाय में संगणक के प्रयोग का अभिकलन तथा कार्यान्वित करने की योग्यता की जांच करना

(2) विद्यार्थियों की परिमाणनीय तकनीक को व्यवसाय की समस्याओं में प्रयोग करने की योग्यता की जांच करना

विस्तृत विषय वस्तु

1. एम आई०एस० की आधारभूत आवश्यकताएं—इसकी आवश्यकता, उद्देश्य तथा सार्थकता, प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता की मान्यता प्रबंध की समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण, हर व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अभिकलित सूचना व्यवस्था संस्थापित करने की आवश्यकता निर्णयन के लिए सूचना के प्रयोग का संकल्पनात्मक ज्ञान

2. व्यवस्था विकास प्रक्रिया

3. व्यवस्था विश्लेषण तथा अभिकलन, कार्यक्रम बनाने की प्रणालियां, तकनीक तथा उपकरणों की संकल्पनाएं

4. शारीरिक से संगणकीय व्यवस्था में परिवर्तन-संबंधित समस्याएं एवं मूल्यांकन

5. संगणकीय व्यवसायिक प्रयोगों का अभिकलन, वित्तीय लेखाकरण, सूची नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, अंश (शेयर) लेखाकरण, वेतन विपत्र तैयार करना एवं लेखाकरण बिक्री लेखाकरण, बीजक बनाना

6. संगणक प्रबंध—ई०डी०पी० विभाग का संगठन तथा भर्तीकरण

7. संगणक का चुनाव एवं संस्थापन-संगणक का चुनाव, चुनाव की कसौटी, निविदाओं का मूल्यांकन, वित्तीय मामले (किराया, पट्टा, क्रय, संस्थापन, व्यय, संगणक केन्द्र)

8. ई०डी०पी० व्यवस्था का नियंत्रण

9. मानक-प्रबंध, प्रणालियां तथा प्रक्रिया मान

10. संगणक व्यवस्था की सुरक्षा, वैकल्पिक सुविधाएं, अग्नि के खतरे से रक्षा, अग्नि का पता लगाने तथा बुझाने के उपकरण, अग्नि लग जाने की दशा में उठाए जाने वाले पग, ऐसी स्थिति में आधार सामग्री को कैसे बचाया जाए बीमा संरक्षण

11. परिमाणीय तकनीक-रैखीय कार्यक्रम बनाना, परिवहन, नियम कार्य की समस्याएं, पर्ट तथा सी०पी०एम० सांख्यिकीय निर्णयन प्रमेय, ई०बी०पी०आई० द्विपद तथा साधारण प्रकार्यों का प्रयोग करते हुए पर—विश्लेषण (पोस्टीपर एनेलाइसिस) क्यूईंग प्रमेय एक सरणी (सिंगल चैनल), अनुरूपण (सिमुलेशन)

प्रश्नपत्र 7—प्रत्यक्ष कर

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर—विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य—(1) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने आयकर नियम 1961 संपत्ति कर नियम 1957, उपहार कर नियम 1958 और संबंधित नियम तथा अग्रणी मामलों में उत्पन्न सिद्धांतों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

(2) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों में वास्तविक व्यवहार की विभिन्न परिस्थितियों में विशेषतया उन क्षेत्रों के संदर्भ में जहां कर योजना किया जा सकता है, कानून के उपबंधों को प्रयोग करने की योग्यता है ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. आय कर अधिनियम 1961

2. संपत्ति कर अधिनियम 1957

3. उपहार कर अधिनियम 1958

प्रत्यक्षकर संबंधी नियमों का प्रावरण करते समय विद्यार्थी स्वयं को कर आयोजन संबंधित विभिन्न विचारों से सुपरिचित कर लें । इसमें निर्दिष्ट प्रबंध निर्णयों से संबंधित कर अन्तर्चिंतन, विदेशी सहयोग समझौते, अंतर्लयन, कर प्रकृष्ट कार्मिक क्षतिपूर्ति योजनाएं, करों से अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए पालन की जाने वाली लेखाविधि की तथा अन्य पूर्वाविधान सम्मिलित है ।

प्रश्नपत्र 8—अप्रत्यक्ष कर

(एक प्रश्नपत्र-तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर कार्य-साधक ज्ञान

उद्देश्य—यह जांचना कि विद्यार्थियों ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा तटकर का नियंत्रण, करनेवाले नियमों के मूलभूत सिद्धांतों का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है:—

विस्तृत विषय वस्तु

अद्यतन संशोधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 अद्यतन संशोधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 तटकर तथा उत्पादन शुल्क राजस्व अपील अधिकरण अधिनियम 1986

1. सीमा शुल्क का स्वरूप—विधायी इतिहास, व्याप्ति आदि केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क का उदग्रहण तथा संचयन, अधिसूचनाओं, प्रशुल्क जानकारी तथा व्यापारिक नोटिस के कानूनी प्रभाव

2. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण तथा निष्काषण का नियंत्रण करने वाले उपबंध,

केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944, केन्द्रीय सीमा शुल्क (मूल्यांकन) नियम 1975 के अंतर्गत मूल्यांकन तथा मूल्य सूचियों का अनुमोदन

3. अर्थनिर्धारण तथा वर्गीकृत सूचियों के फाईल करने तथा अनुमोदन के नियमों के संदर्भ में, केन्द्रीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1988 के अंतर्गत वस्तुओं का वर्गीकरण

4. अन्तर्मिक कर निर्धारण सहित कर निर्धारण, स्वयं निष्कासन प्रक्रिया, ड्यूटी का भुगतान तथा ड्यूटी की दर, अभिलेख पर आधारित नियंत्रण तथा उत्पादन पर आधारित नियंत्रण

5. कम उदग्रहण, उदग्रहण का न होना, गलती से धन वापसी की मंजूरी-अधिक ड्यूटी का भुगतान, धन की वापसी तथा कम उदग्रहण या उदग्रहण के न होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के अधिकार

6. लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया-औपचारिकताएं तथा संबंधित बंधपत्र

7. उत्पादन शुल्क वाले माल के भंडारण से संबंधित प्रक्रिया, ड्यूटी के भुगतान का समय एवं प्रणाली, माल को चिह्नित करने के नियम, माल के निष्कासन से संबंधित द्वारा पत्र तथा अन्य मामले

8. अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों का रख रखाव तथा विवरणी का फाईल करना

9. ड्यूटी दिए हुए माल का कारखाने में प्रवेश तथा प्रतिधारण

10. विशेष औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए गए माल पर राजस्व की माफी

11. निर्यात के लिए राजस्व की वापसी (ड्यूटी ड्रा बैक) की प्रक्रिया

12. प्रोफर्मा क्रैडिट तथा मोडवैट

13. विभागीय संगठन संरचना-अधिनिर्णयन तथा अपील की प्रक्रिया, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीली अधिकरण तथा उत्पादन राजस्व अपील अधिकरण

14. अपराध तथा दंड

15. लघु उद्योगों के लिए छूट

II. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

1. सीमा शुल्क के उदग्रहण तथा छूट के नियंत्रण करने वाले सिद्धांत

2. माल के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के आधारभूत सिद्धांत

3. सीमाशुल्क प्राधिकारी, सीमाशुल्क पत्तन, भंडार स्टेशनों आदि की नियुक्ति

4. माल के आयात तथा निर्यात उपबंध करने वाले उपबंध, बैगेज, डाक द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं तथा भंडार से संबंधित विशेष उपबंध

5. माल के लाने ले जाने तथा भंडारण से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया

6. भुगतान की हुई सीमा शुल्क की वापसी

ए० के० मजुमदार
कार्यवाहक सचिव

मद्रास–600034, दिनांक 28 अगस्त 1991

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

सं० 3–एस० सी० ए (4)/4/91–92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से श्री डी० बी० शास्त्री, आकाश दीप, 14 ए, ओरेंज ग्रोव रोड, कुनूर, का नाम उसकी अपनी प्रार्थना पर 1 अप्रैल, 1991 से हटा दिया है।

उसकी सदस्यता संख्या 1740 है।

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 1991

सं० एन–15/13/1/88–यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 के विनियम 95क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948) (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16–8–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे।

अर्थात्:—

1. ईस्ट गोदावरी जिले के समालकोट राजस्व मण्डल में समालकोट नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तथा राजस्व ग्राम उन्दूरू कमावरम और पी० बीमावरम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

2. ईस्ट गोदावरी जिले के पीठापुरम मण्डल में पीठापुरम नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तथा राजस्व ग्राम जी० रागमपेटा, जे० टीमापुरम, रायाभूपालापटनम, चीना ब्रहमदेवम, पूलीमेरू, और रामेलम-पीठ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

सं० एन० 15/13/14/2/88—यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 के विनियम 95 क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-8-91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95क के तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे। अर्थात्

"कोइम्बटूर जिले के पल्लाडम तालुक में राजस्व ग्राम पीडमपल्ली, पप्पम पट्टी, पट्टानम तथा काललंगल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1991

शुद्धि पत्र

सं० एन-12/13/1/90-यो० एवं वि०—क० रा० बी० निगम की अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/90-यो० एवं वि० दिनांक 17 मई, 1991 जो भारत के राजपत्र संख्या 24 भाग-3 खण्ड-4 में दिनांक जून 15, 1991 के पृष्ठ 1943-1951 (हिन्दी) एवं पृष्ठ 1954-1959 (अंग्रेजी) पर प्रकाशित हुई है, में अधोलिखित त्रुटियों को निम्नांकित रूप में शुद्ध करके पढ़ा जाये:—

	पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ा जाये
1.	1943	पैरा 3 की छठी पंक्ति	45-म	45-झ
2.	1944	पैरा 5 की दूसरी पंक्ति	"अन्येष्टि"	"अंत्येष्टि"
3.	1946	पैरा 8(ग) व (घ) प्रथम पंक्ति	"स्टाफ"	"स्टाफ"
4.	1946	पैरा 12(क) तृतीय पंक्ति	"नियोजनों"	"नियोजकों"
5.	1946	टिप्पण (1) तृतीय पंक्ति	"का बाबत"	"की बाबत"
6.	1947	टिप्पण (4) के बाद टिप्पण (5) (5) "प्रधान नियोजक के अभिप्रेत है"	'टिप्पण (1)'	"टिप्पण (5)"
7.	1949	दूसरी पंक्ति	89-1 ख	89-ख
8.	1951	उन्नीसवीं पंक्ति	पुष्टि कर दी	पुष्टि कर दें
9.	1951	28 वीं पंक्ति	निहीं किया	नहीं किया
10.	1951	29 वीं पंक्ति	को	के
11.	1956	तीसरी पंक्ति		फार्म-01

शुद्धि पत्र

सं० एन-12/13/2/89-यो० एवं वि०—कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या एन-12/13/2/89-यो० एवं वि० दिनांक 16 मई, 1991 जो भारत के राजपत्र संख्या 23 भाग-3 खण्ड-4 दिनांक 8 जून, 1991 के पृष्ठ 1913 (हिन्दी) में प्रकाशित हुई है, की 12वीं पंक्ति में "साधारण (प्रथम संशोधन)" के स्थान पर (प्रथम संशोधन) पढ़ा जावे।

एस० घोष,
संयुक्त बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1991

सं० यू० 16/53/91-चि० 2 (आन्ध्र प्रदेश) संग्रह-1—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा हैदराबाद की डा० डी० भारती को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 16-5-91 से

15-4-1992 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसमें से जो पहले हो हैदराबाद केन्द्र के बीमांकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता में सन्देह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिये चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूं।

डा० कृष्ण मोहन सक्सेना,
चिकित्सा आयुक्त।

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 सितम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1428—जहां मैसर्स हिन्दोस्तान सेनीटीयेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. बहादुरगढ़ राहतक हरियाणा (पी. एन./1843) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी.एल.आई./एक्जाम/89/पार्ट-1 दिनांक 21-9-90 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-93 भी शामिल है।

अनुसूची—2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है।) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसका स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों के प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1434—जहां मैसर्स टाटा टैलकम लि., इ-1/1, गान्धी नगर, इलैक्ट्रानिक्स एस्टेट, गान्धी नगर, 382028 (जी. जे:/18706) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 1-11-90 से 30-10-93 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता है ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1372—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क)

के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–1

क्षेत्र : मद्रास

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० डिटरजेन्टस इण्डिया लि०, नं० 3, क्लब हाउस रोड, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, मद्रास--600002	टी एन/11210	1–7–87 से 30- 6–90 और 1–7–90 से 30–6–93	2/1643/87 डी० एल० आई०
2.	मै० फरफैक्ट लि०, नं० 158, इल्डमस रोड, मद्रास--18	टी० एन०/19807	1–9–89 से 31–8–92	2/3721/91 डी० एल० आई०
3.	मै० ए० आई० इन्टरप्राइजेज, 69–ए (एन पी०) एमबैटूर, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, मद्रास–98	टी० एन/23198	1- 10- 89 से 30- 9–92	2/3722/91 डी० एल० आई०

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक

कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दानों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1446—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, वी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, वी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैदराबाद ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

क्षेत्र : हैदराबाद

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० कन्ट्रोलस एण्ड स्केमैटिक्स प्रा० लि०, 3-6/584/जी हिमायातनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश)	ए० पी/5008	1-12-89 से 30-11-92	2/3752/91 डी० एल० आई०
2.	मै० श्री निवासा साइसटम लि० पंजी० कार्यालय पी०-2 कनकोरडे एपार्टमेंटस, 6-3-658, सोमाजी गुडा, हैदराबाद 500482 (आ० प्र०)	ए० पी०/18544	1-1-91 से 31-12-93	2/3753/91 डी० एल० आई०
3.	मै० भादराचल्लम पेपर बोर्ड लि० गांव सारापाका, बुरगमपड तालुक, खामाम जि०-507128	ए० पी०/11631	1-4-89 से 31-3-92	2/3755/91 डी० एल० आई०

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसमें इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामंजित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1446—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-।। में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-। में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–1

क्षेत्र : आन्ध्रा प्रदेश

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है	के० भ० नि०आ० फाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स सुपर स्पीनिंग मिल्स लि०, ए यूनिट, किरी केरा, हिन्दीपुर, आन्ध्रा प्रदेश	ए० पी०/2678	एस–35014(74) 87–एस० एस० II दिनांक 27–7–87	26–7–90	27–7–90 से 26–7–93	2/1562/86 डी० एल० आई०
2.	मैसर्स नागरजना स्टील लि० नागराजना हिल्स, पंजागुत्ता, हैदराबाद–500482	ए० पी०/6330	एस०–35014/104/84 एस० एस० IV एस० एस० II दिनांक 18–9–87	9–11–90	10–11–90 से 9–11–93	2/1077/84–डी०एल० आई०
3.	मैसर्स फैशापलास्ट लि० 306, कैमायें ट्रेड सेन्ट्र 3, मंजिल, पारक लेन, सिकन्दराबाद–500003 (आ० प्रा	ए० पी०/11862	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग–I दिनांक 3–5–91	30–4–90	1–5–90 से 30–4–93	2/1770/88–डी०एल० आई०
4.	मैसर्स गोल्डस्टार होल्गिग और इण्डस्ट्रीज लि०, गोल्ड स्टार चेम्बरज 6–3–802, अमीरपेट मेन रोड, हैदराबाद 500016	ए०पी०/16493	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग I/7681/दिनांक 3–5–91	28–2–91	1–3–91 से 28–2–94	2/2703/90–डी०एल०आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है।) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय

भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1452—जहाँ मैसर्स चैटर्जी इंजीनियरिंग कं. (पश्चिम बंगाल/15760) श्री गणेश बिजनेस सेन्टर 216 ए. जी. सी. बोस रोड फ्लैट 2ए, कलकत्ता-700017 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत दावा प्रदान की है, 2 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1-1-89 से 31-12-91 तक ।

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1458—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-II में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–1

क्षेत्र : मद्रास

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसे जिसके लिये और छूट दी है।	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स स्टार टाकिज, नं० 40, तिरपलीकेन हाई रोड, मद्रास–600005	टी० एन०/2239	2/1959/डी०एल०आई० एक्जाम/89–पार्ट–1 दिनांक 4–10–89	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2542/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स कलर ग्राफिक्स, 8, लेथ कैस्टल स्ट्रीट, सनथोम, मद्रास–600028	टी० एन०/19662	—वही— दिनांक 18–9–89	30–9–89	1–10–89 से 30–9–92	2/1858/88–डी० एल०आई०
3.	मैसर्स वी० एस० टी सर्विस स्टेशन प्रा० लिमिटेड, 182, अन्ना रोड, मद्रास–6	टी० एन०/1134	एस०–35014/315/83–पी० एफ० 11/एस० 11 दिनांक 1–3–88	27–1–90	28–1–90 से 27–1–92	2/958/83–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स मैक्रेस्ट फुटस प्रा० लिमिटेड, 682, अन्ना सलाई मद्रास–600006	टी० एन०/2922	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1 दिनांक 18–9–89	31–10–90	1–11–90 से 31–10–93	2/2002/89–डी० एल० आई०

अनुसूची–2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,

बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1465—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

क्षेत्र : तमिलनाडु

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई	के०भ०नि०आ० फाइल नं०
1.	मैसर्स इन्दिरा गांधी इण्ड० कम्पलैक्स इण्डस्ट्रीयल सर्विस को० आपरेटिव सोसायटी लि० बी० एच० बी० एल० कम्पलैक्स रानीपेट—632406	टी० एन०/22305	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग—1 दिनांक 29—8—90	28—2—90	1—3—90 से 28—2—93	2/3739/90—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स सुरी एण्ड क० नं० 8 एस्तलैड गेट गली—4 मद्रास—6	टी० एन०/3670	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग—1 6103/दिनांक 10—9—90	28—2—90	1—3—90 से 28—2—93	2/2809/90—डी० एल० आई०

अनुसूची–2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, की ऐसी विवरिणयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 4 सितम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1471—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-।। में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्षेत्र : हैदराबाद

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स हैदराबाद बोटलोंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड 8-3-949/1, पुंजागुडा, हैदराबाद-600016 (ए० पी०)	ए० पी/1821	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट-I दिनांक 19-12-89	31-1-91	1-2-91 से 31-1-94	2/2139/89-डी० एल० आई
2.	मैसर्स इण्डो नेशनल लिमिटेड, फैक्टरी ताडा-524401 नैलोर, जिला (ए० पी०)	ए० पी/11560	एस०-35014/108/87-एस० एस०-II दिनांक 23-9-87	22-9-90	23-9-90 से 22-9-93	2/1451/86-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स बी० बी० आर० कान्फैक्शनरी प्रा० लिमिटेड, बी० वी० रेड्डी कालेवी, चित्तोर-517001 (ए० पी०)	ए० पी/16220	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट-I दिनांक 15-9-89	30-9-90	1-10-90 से 30-9-93	2/3074/90-डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जीम/89/भाग-1/1477—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्षेत्र : मदुराई

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है।	के० भ० नि० आ०फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स जे० कोटे इण्डस्ट्रीज, अम्मा राजा नगर, संकरण कायल रोड, राजापल्लायम 626117	टी० एन०/20253	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89—पार्ट-I दिनांक 12—9—90	28—2—90	1—3—90 से 28—2—93	2/2875/90—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स अज्जागप्पा स्पीनिंग मिल्स (प्रा०) लि०, पो० बा० नं० 18, राजापल्लायम	टी० एन०/1125	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट-I दिनांक 1—9—89	31—12—90	1—1—91 से 31—12—93	1/1981/89—डी० एल० आई०
3.	मैसर्स डी० सी० डब्ल्यू० लि० शाहपुरम, अरूमुगानेरी, पो आ० 628202 वी० ओ० सी० जिला	टी० एन०/2862	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89—1 पार्ट—I दिनांक 29—1—90	31—1—90	1—2—90 से 31—1—93	2/2461/90—डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रीमियम के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।"

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1483—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियमावली ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-I में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची–1

क्षेत्र : राजस्थान

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिस के लिये और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	6	6	7
1.	मैसर्स न्यू मैजस्टिक टाकीज, पोस्ट बाक्स नं० 62, अजमेर, राजस्थान	आर० जे०/170	2/1959/डी० एल० एक्जाम/89/पार्ट–1 दिनांक 28–9–89	30–11–90	1–12–90 से 30–11–93	2/3744/91–डी० एल० आई
2.	मैसर्स वैदिक मंत्रालय, पो० बी० नं० 38, आर्य समाज मार्ग, अजमेर–305001	आर० जे०/358	2/1959/डी० एल० आई/एक्जाम/89/पार्ट–I	28–2–91	1–3–91 से 28–2–94	2/3745/91–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स डेली (दैनिक) ज्योति, प्रिंटिंग प्रैस, अजमेर	नव-आर० जे०/1016	वही	30–9–90	1–10–90 से 30–9–93	2/1872/88–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स ओमेगा इलैक्ट्रीकल इन्डस्ट्रीज, (ए–160) इन्द्र प्रस्था इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा–324005	आर० जे०/2032	वही	31–1–91	1–2–91 से 31–1–94	2/3746/91 डी० एल० आई०

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना

पहले अपना चुंकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1489—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-।। में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–I

क्षेत्र : केरल

क्रम०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5
1.	केरल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लि०, पो०ओ० अथानी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाकुलम, केरल–683586	के०आर०/2817	1–1–88 से 31–12–90	2/3737/91–डी०एल०आई०
2.	केरल एग्रो मशीनरी कारपोरेशन लि०, अथानी, डिस्ट्रिक्ट अरुणाकुलम, केरल–683586	के०आर०/3375	1–12–87 से 31–11–90	2/3738/91-डी०एल०आई०
3.	सैयद एजेन्सी ब्रोड वे लेन, अरन्नाकुलम, कोचीन–682031	के०आर०/10254	1–4–90 से 31–3–93	2/3739/91-डी०एल०आई०
4.	नाईस कैमिकल्स (प्रा०) लि०, 50/822, नाईस काम्पलैक्स मनीमाला रोड, एडापल्ली, कोचीन–682024	के०आर०/13161	1–5–90 से 30–4–93	2/3741/91-डी०एल०आई०
5.	स्ट्रलिंग इण्डस्ट्रीज कैमिकल्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज (प्रा०), दरसारो 48/1308–ए, बैलन मैनन रोड, एडापल्ली, कोचीन–682024	के०आर०/13162	1–5–90 से 30–4–93	2/3742/91-डी०एल०आई

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, का ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89-भाग-1/1495—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-।। में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-I

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1.	मैसर्स एसपिनवाल एण्ड कम्पनी लि०, पो०बाक्स नं० 2, कोचीन–682001, केरल	के०आर०/1057	1–1–89 से 31–12–91	2/3777/91-डी०एल०आई०
2.	मैसर्स एसपिनवाल एण्ड कम्पनी लि०, पो०बाक्स नं० 2, कोचीन–682001 केरल	के०आर०/1714	1–1–89 से 30–12–91	2/3777/91-डी०एल०आई०
3.	मैसर्स एसपिनवाल एण्ड कम्पनी लि०; पो०बाक्स नं० 2, कोचीन–682001, केरल	के०आर०/1783	1–1–89 से 31–12–91	2/3777/91-डी०एल०आई०
4.	मैसर्स आनन्द वाटर मीटर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लि०; पो०बाक्स नं० 1002 XXXVI/1544, एम०जी०रोड अरुणाकुलम, कोचीन–682011, केरल	के०आर०/1958	1–12–88 से 30–11–91	2/3778/91-डी०एल०आई०
5.	मैसर्स भारत होटल, पो०बा०नं० 2357 डी०एच०रोड, अरुणाकुलम, कोचीन–682016	के०आर०/2641	1–9–89 से 31–8–92	2/3779/91-डी०एल०आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।]

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1501—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-।। में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-। में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्रम०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1.	मैसर्स विजयामोहनी मिल्स, थीरूमाला, पो०ओ०—त्रिवेन्द्रम—695006	के०आर०/6	1-7-89 से 28-2-90	2/3785/91-डी०एल०आई०
2.	मैसर्स केरला कायूमूडी (प्रा०) लि०, पो०बो० नं० 17, त्रिवेन्द्रम—695024	के०आर०/138	1-3-88 से 28-2-91	2/3786/91-डी०एल०आई०
3.	मैसर्स श्री रामाकृष्णा आश्रमा चैरीटेबल अस्पताल, संस्थामंगलम, त्रिवेन्द्रम 695010	के०आर०/1660	1-12-88 से 31-11-91	2/3787/91-डी०एल०आई०
4.	मैसर्स कैलट्रान काऊंटरस लि०, चावड़ीमुकु, श्रीकंरयाम, पो०ओ० त्रिवेन्द्रम-695017	के०आर०/2635	1-9-88 से 30-8-91	2/3789/91-डी०एल०आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या यह स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली–110016, दिनांक 9 अगस्त 1991

सूचना

सं० सी० डब्ल्यू० सी०/111/1/34–91–बी० एण्ड सी०— केन्द्रीय भण्डारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा 1 के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट अंशधारियों के वर्ग में से 7–8–1991 की विधिवत् चुने गए निदेशक का नाम तथा पता अधिसूचित किया जाता है :—

अंशधारियों का वर्ग	निदेशक का नाम तथा पता
भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त अनुसूचित बैंक	श्री के० एम० नारायनन उप महा प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक सैन्ट्रल आफिस : पी० बी० नं० 3765, 762 अन्ना-सलाई, मद्रास–600002

एम० मसीह
सचिव
केन्द्रीय भण्डारण निगम

भारतीय फार्मेसी परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1991

सं० 11–1/80–पी० सी० आई० (पार्ट) 3207–10— भारतीय फार्मेसी परिषद्, फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय फार्मेसी परिषद् विनियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) ये विनियम भारतीय फार्मेसी परिषद (संशोधन) विनियम, 1991 हैं ।

(2) वे भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय फार्मेसी परिषद् विनियमों में—

(क) विनियम 67 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :
"67 (क) सचिव व रजिस्ट्रार स्वयं के लिए आहरण अधिकारी और परिषद् के स्टाफ सदस्यों के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी होगा" ।

(ख) विनियम, 68 में राशि "500" के स्थान पर राशि "1000" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

देवेन्द्र कुमार जैन
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

URBAN BANKS DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-400 018, dated 31st August 1991

No. UBD. BR. 112/A. 18-91/92.—In pursuance of sub-section (2) of section 36A read with Clause (Za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the undernoted primary co-operative banks (Salary earners' societies) have ceased to be co-operative bank within the meaning of the said Act.

Name of the Society	State
1. The Malappuram District Co-operative Bank Employees' Co-operative Credit Society Ltd. No. M-5, Malappuram	Kerala
2. Punalur Plywood Factory Emplyees' Co-operative Society Ltd. No. 2894, Punalur. Distt. Kollam.	Do.
3. S.D. College Employees Co-operative Credit Society Ltd. No. A-753, Sanathanapuram, P.O. Alapuzha.	Do.

G. K. UDESHI
Chief Officer

STATE BANK OF SAURASHTRA

HEAD OFFICE : BHAVNAGAR

Bhavnagar, the 22nd August, 1991

In pursuance of Regulation 55(1) of the Subsidiary Banks General Regulations, 1959, the Board of Directors of the State Bank of Saurashtra in partial modification of the Bank's Notification No. 27 dated 24-12-1963 do hereby authorise the undernoted officials to exercise the following signing powers to the extent specified below :—

Branch Managers, Managers of Division. Accountants. Assistant Accountants. Field Officers and all other authorised signatories working at branches.	(A) To sign the instruments such as Drafts. M.Ts., T.T. Confirmation Advices. Transfer Responding Advices and Confirmation of Telegraphic Payment Advices.	
	(i) To sign individually	Where the amount is less than Rs. 50,000/-
	(ii) To Sign jointly with another official who has full powers	Where the amount is Rs. 50,000/- and above
	(B) To Sign guarantees and Letters of Credits (irrespective of amount of involved) jointly by the two authorised signatories.	

K. MARGABANTHU
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, dated 4th September 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/19/91.—The following draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1988, with it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949) is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after 30th October, 1991.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified date will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

1. These Regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 1991.

2. These Regulations shall come into force from such date as may be specified by the Council.

3. In the said Regulations —

I. For the existing Regulations 23, 24, 25 and 26 substitute the following :—

"23. (1) *Admission to the Entrance Examination*

No candidate shall be admitted to the Entrance Examination unless he is a graduate within the meaning of Clause (ix) of sub-regulation (1) of Regulation 2 or is undergoing the graduation course.

Provided that a candidate who having appeared at the Entrance Examination held after 1st January, 1985 has failed in the said examination on three occasions, shall not be admitted to the Entrance Examination.

(2) *Admission fee for the Entrance Examination.*

A candidate for admission to the Entrance Examination shall pay such fee as may be fixed by the Council from time to time.

(3) *Syllabus for the Entrance Examination.*

A candidate for admission to the Entrance Examination shall be examined in the subjects prescribed in paragraph 1 of Schedule 'B'.

(4) Notwithstanding anything contained in these Regulations the Council may, at any time after the commencement of the Foundation Examination, discontinue the Entrance Examination.

24. *Registration for the Foundation Course*

(1) No candidate shall be registered for the Foundation Course unless he has passed the Senior Secondary Examination conducted by an examining body constituted by law in India for an examination recognised by the Central Government as equivalent thereto.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, a person who has appeared in his final Senior Secondary Examination or an examination recongnised by the Government or the Council as equivalent thereto may also be provisionally registered for the Foundation Course by the coaching organisation set-up under the aegis of the Council.

Provided that the provisional registration of a person shall be confirmed only after satisfactory proof has been furnished by him to the coaching organisation within a period of six months from the date of provisional registration of having passed the aforesaid examination. Where such a person fails to produce such proof within the aforesaid period his provisional registration shall be cancelled and no part of the registration fee or the tuition fee paid by him shall be refunded and for the purpose of these Regulations no credit shall be given for the theoretical instructions undergone.

(3) Before admission to the Foundation Course, a candidate shall pay such fee, as may be fixed by the Council from time to time.

25. (1) *Admission to the Fundation Examination*

No candidate shall be admitted to the Foundation Examination unless he produces a certificate from the head of the

coaching organisation, by whatever name designated, to the effect that he is registered with the coaching organisation and has complied with the regirements in this behalf, of the postal tuition scheme.

Provided, however, that commerce graduates who have passed the graduation examination with accountancy, auditing, mercantile or commercial laws, securing in aggregate a minimum of 50% of the total marks in the examination or graduates other than commerce graduates who have passed the graduation examination with mathematics as one of the subjects securing in the aggregate a minimum of 60% of the total marks in the examination or graduates other than commerce graduates who have passed the graduation examination with any other subjects other than mathematics securing in the aggregate a minimum of 55% of the total marks in the examination shall be exempted from passing the Foundation examination. They shall be permitted to register themselves as articled/audit clerks to receive practical training prescribed under these regulations, if found otherwise elegible.

(2) Admission fee for the Foundation Examination.

A candidate for the Foundation Examination shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(3) Syllabus for the Foundation Examination.

A candidate for the Foundation Examination shall be examined in the subjects prescribed in paragraph 1A, of Schedule 'B'.

26. Admission to the Intermediate Examination.

No candidate shall be admitted to the Intermediate Eaxmination unless—

(i) he has either passed the Enterance Examination or the Foundation Examination or is exempted from passing either of the said examinations under these Regulations;

(ii) he has completed not less than nine months of service as an articled clerk or as an audit clerk or partly as an articled clerk and partly as an audit clerk, three months prior to the first day of the month in which the examination is held; and

(iii) he produces a certificate from the head of the coaching organisation, by whatever name designated, to the effect that he has complied with the requirements in this behalf of the postal tuition scheme :

Provided that the aforesaid certificate shall be valid for such period computed from the date of its issue as may be specified by the coaching organisation, where after the candidate shall have to obtain a fresh certificate after fulfilling such conditions as may be imposed by the coaching organisation in that behalf."

II. For the existing Regulations 28 and 29, substitute the following :—

"28 Syllabus for the Intermediate Examination :

(1) A candidate for the Intermediate examination held after 1st January, 1985 shall be examined in the groups and subjects prescribed in paragraph 2 of Schedule 'B'

(2) Notwithstanding anything contained in the these Regulations, the Council may, at any time after introduction of the Foundation Course, discontinue holding the Intermediate examination as per the syllabus given in paragraph 2 of the schedule 'B' and require the candidates to pass the Intermediate examination as per the syllabus given in paragraph 2A of Schedule 'B'.

29. Admission to the Final Examination :

No candidate shall be admitted to the Final examination unless—

(i) he has either passed the Intermediate examination under these Regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964, or the Intermediate or the First examination under the Chartered Accountants Regulations 1949, or was exempted from passi the First examination under the Chartered Accour ants Regulations, 1949;

(ii) he has completed the practical training as is r quired for admission as a member or has yet serve not more than three months of practic training atleast three months prior to the first d of the month in which the examination is held :

Explanation :

In computing the aforesaid balance period of thr months of practical training, leave taken in excess of 1 days in the case of articled clerks and 184 days in the ca of audit clerks shall be regarded as the period yet to l served under articled or audit service, as the case may b

(iii) he produces a certificate from the head of tl coaching organisation, by whatever name designa ed, to the effect that he has been registered as student of the Final Course for a minimum perio of six months prior to the first day of the mont in which the examination is held :

(iv) there has been a time interval of atleast one Fin Examination between the passing of the Interm diate Examination and the First appearance at th Final Examination."

III. For the existing Regulation 31, substitute the follov ing :—

"31. Syllabus for the Final Examination.

(1) A candidate for the Final examination shall b examined in the groups and subjects prescribed in par graph 3 of Schedule 'B'.

(2) Notwithstanding anything contained in these Regul tions, the Council may, at any time after introduction the Foundation Course, discontinue holding the Final exam nation as per the syllabus given in paragraph 3 of Schedu 'B' and require the candidates to pass the Final examinatio as per the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' IV. For the existing Regulations 36, 37 and 38, substitu the following :—

"36 (1) Requirement for passing the Entrance Examin tion.

A candidate for the Entrance Examination shall ordinaril be declared to have passed the examination if he obtai at one sitting a minimum of 40% marks in each paper an a minimum of 50 percent of the total marks of all th papers.

(2) Requirement for passing the Foundation Examinatio

A candidate for the Foundation Examination shall b declared to have passed the examination if he obtains one sitting a minimum of 40 percent marks in each pape and a minimum of 50 percent of the total marks of a the papers.

37. Requirements for passing the Intermediate Examinatio

(1) A candidate shall ordinarily be declared to hav passed the Intermediate examination if he passes in bot the groups. He may appear in both the groups simultane ously or in one group in one examination and in the re maining group at any subsequent examination.

(2) A candidate shall be declared to have passed in bot the groups simultaneously if he secures at one sitting minimum of 40 percent marks in each paper of both th groups and a minimum of 50 percent marks in the aggre gate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in group if he secures at one sitting minimum of 40 percen marks in each paper of the group and a minimum of 5 percent marks in the aggregate of all the papers of tha group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Intermediate examination held under the scheme of examinations prior to the commencement of the examination under the syllabus given in paragraph 2A of Schedule 'B' of these regulations, shall be entitled to the exemption from appearing in the papers, specified in the following tables and he shall be declared to have passed the Intermediate examination if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each of the remaining papers and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all such remaining papers put together.

Provided a candidate who is exempted from appearing in five papers will be declared to have passed in the said examination if he secures a minimum of 50 percent marks in the remaining paper.

TABLE 'A'

Papers of the Intermediate examination passed under Schedule 'B' to the Charteted Accountants Regulation, 1964.	Exemption to which the candidate is entitled at any Intermediate examination under the syllabus given in paragraph 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulation, 1988.
Group I	
Paper 1 : Accounting	Paper (1) : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2 : Accounting	Paper (1) : Advanced Accounting (Group I)
Paper 3 : Auditing	Paper (2) : Auditing (Group I)
Group II	
Paper 4 : Cost Accounts & Statistics	Paper 4 : Cost Accounting (Group II)
Paper 5 : Mercantile Law & Company Law	Paper 3 : Corporate and other Laws (Group I)
Paper 6 : General Commercial knowledge.	Nil

TABLE 'B'

Papers of the Intermediate Examination passed under Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 or under paragraph 2 of Schedule 'B' to the C.A. Regulations, 1988	Exemption to which the candidate is entitled at any Intermediate Examination under the syllabus given in Paragraph 2A of Schedule 'B' to the 'CA' Regulation 1988.
Group I	
Pager 1 : Accounting	Paper 1 : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2A : Company Accounts 2B: Elements of Income-tax	Paper 5 : Income tax and Central Sales Tax (Group II)
Paper 3: Cost Accounting	Paper 4 : Cost Accounting (Group II)
Paper 4 : Auditing	Paper 2 : Auditing (Group I)
Group II	
Paper 5 : Mercantile Law, Company Law & Industrial Law	Pager 3 : Corporate & other Laws (Group I)
Paper 6 : Business Mathematics & Statistics	Nil
Paper 7 : Organisation & Management and Economics	Paper 6 : Organisation & Management and Fundamentals of Electronic Data Processing (Group II)

(5) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination held under the Chartered Accountants Regulations, 1988 shall continue to be governed by the provisions of these Regulations till the commencement of Intermediate Examination to be held under paragraph 2A of Schedule 'B' to these regulations.

38. Requirements for passing the Final Examination

(1)A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Final examination if he passes in both the groups. He may appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and in the remaining group at any subsequent examination.

(2) A candidate shall be declared to have passed in both the groups simultaneously if he secures at one sitting, a minimum of 40 percent marks in each paper of both the groups and a minimum of 50 per cent marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of the group and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of that group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Final examination held under the scheme of examinations prior to commencement of the examination under the syllabus given in paragraph 3A of schedule 'B' to these Regulations shall be entitled to the exemptions from appearing in the papers specified in the following tables and he shall be declared to have passed the Final examination if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each of the remaining papers and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all such remaining papers taken together.

Provided a candidate who is exempted from appearing in seven papers will be declared to have passed in the said examination if he secures a minimum of 50 marks in the remaining paper.

TABLE 'C'

Papers of the Final Examination passed under Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1964.	Exemption to which the candidate is entitled at any Final examination under the syllabus given in paragragh 3A of Schedule 'B' to the C.A. Regulations 1988.
Group I	
Paper 1 : Advanced Accounting	Paper 1 : Advanced Accountig (Group I)
Paper 2 : Advanced Accounting & Management Accounting	Paper 2 : Management Accounting and Financial Analysis (Group I)
Paper 3 : Costing	Paper 5 : Advanced Cost Accounting and cost systems (Group II)
Paper 4 : Auditing	Paper 3 : Advanced of Management Auditing (Group I)
Paper 5 : Taxation	Paper 7 : Direct Taxes (Group II)
Group II	
Paper 7 : Company Law	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practice (Group I)

TABLE 'D'

Papets of the Final examination passed under Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964—prior to 1st Jan., 1985 under three group system·	Exemption to which the candidate is efitltled at any Final examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to the C·A· Regulations 1988·
Group I	
Paper 1 : Advanced Accounting	Paper 1 : Advaced Accounting (Group I)
Paper 2 : Financial Management	Paper 2 : Management Accounting and Financial Analysis (Group I)
Paper 3 : Auditing	Faper 3 : Advanced and Management Auditing (Group I)
Group II	
Paper 7 : Company Law	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practices (Group I)
Paper 5 : Direct-tax Laws	Paper 7 : Direct Taxes (Group II)
Group III	
Paper 8 : System Analysis Data Processing	Paper 6 : System Analysis, Data Processing & Quantitative Techniques (Group II)
Paper 9 : Cost Records & cost Control·	Paper 5 : Advanced cost Accounting and Cost Systems (Group-II)

TABLE 'E'

Papers of the Final examination passed under Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations. 1964 or under the Regulations of 1988 (under two group system) prior to the commencement of the Examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to these regulations·	Exemption to which the candidate is entitled at any Final examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to the C·A· Regulations 1988·
1	2
Group I	
Paper 1: Advanced Accounting	Paper 1: Advanced Accounting (Group-I)
Paper 2 : Management Accounting	Paper 2 : Management Accounting and Financial Analysis (Group-I).
Paper 3 : Auditing	Paper 3 : Advanced and Management Auditing (Group-I)
Paper 4 : Company Law	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practice (Group-I)
Group II	
Paper 5 : Direct Tax Laws	Paper 7: Direct Taxes (Group-II).
Paper 7 : Systems Analysis & Data Processing	Paper 6 : Systems Analysis, Data Processing and Quantitative Techniques (Group-II).
Paper 8 : Cost Systems & Cost Control·	Paper 5 : Advanced Cost Accounting and Cost System (Group-II).

(5) A candidate who has passed in any one but not in both the groups in the Final examination held under the Chartered Accountants Regulations, 1988 shall continue to be governed by the provisions of those Regulations till the commencement of Final Examintion to be held under paragraph 3A of Schedule 'B' to these regulations.

V. Delete sub-regulation (6) of Regulation 43, and subsequent sub-regulations be re-numbered as sub-regulation (6), (7), (8), and (9).

VI. The Explanation to the proviso to existing sub-regulation (8) of Regulation 43, be substituted by the following :—

"Explanation

For the purpose of this sub-regulation, a member who sets up practice, with practice as his main occupation, after having been in employment for a minimum period of six years in one or more financial, commercial or industrial undertakings approved under Regulations 51 and 72 shall be deemed to have been in continuous practice for three years."

VII. For the existing Regulation 45 (1) (b), substitute the following :—

"(b) Such a person—

(i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of articles;

(ii) has either passed the Foundation Examination or has been exempted from passing the Foundation Examination under these Regulations.

Provided that graduates who have passed the Entrance Examination shall continue to be eligible to register themselves as articled clerks."

VIII. Delete the existing sub-regulation (5) of Regulation 46, and re-number the subsequent sub-regulations as (5), (6), and (7).

IX. For the existing sub-regulation (2) of Regulation 51, substitute the following :—

"(2) The period of industrial training may range between nine months and twelve months during the last year of the prescribed period of practical Training."

X. Delete the existing sub-regulation (3) of Regulation 57, re-number the subsequent sub-regulation (4), as sub-regulation

(3) and substitute by the following :—

"(3) In every case referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) above, the provisions of regulation 46 shall apply 'mutatis mutandis' except that no fee shall be payable by the articled clerk."

(*Proviso remians unchanged, hence not reproduced here*).

XI. For the existing Regulation 60, substitute the following :—

"60. *Working hours of an articled clerk*

Subject to such directions as may be issued by the Council, the working hours of an articled clerk shall be 35 hours per week to be regulated by the Principal from time to time."

XII. For the existing regulation 64, substitute the following :—

"64. *Report to the Council*

(1) The Principal shall maintain a record about the progress of training imparted by him to the articled clerk, in such form and manner as may be determined by the Council from time to time.

(2) The Principal shall submit the records of training maintained as and when required by the Council. In the event of the death of the Principal his legal representative or the surviving partner shall submit the records, as and when required by the Council."

XIII. For the existing sub-regulation (5) of Regulation 68, substitute the following :—

"(5) A member shall be entitled to engage a person as an audit clerk only if such person had been in service as a salried employee for a minimum period of one year either under him or in the firm of chartered accountants in practice wherein he is a partner, on a monthly remuneration at the rates specified below, depending upon where the normal place of service of the audit clerk is situated :—

(a) cities with a population of one million and above	Rs. 750/- per month
(b) cities/towns having a population of less than one million	Rs. 500/- per month

Explanation

For the purpose of this sub-regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India."

XIV. For the existing Regulation 69(1) (b), substitute the following :—

"(b) Such a person—

(i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of audit service;

(ii) has either passed the Foundation Examination or has been exempted from passing the Foundation Examination under these Regulations.

Provided that graduates who have passed the Entrance Examination shall continue to be eligible to register themselves as audit clerks."

XV. Delete the existing sub-regulation (5) of Regulation 69, and re-number the subsequent sub-regulations as (5) and (6).

XVI. For the existing sub-regulation (2) of Regulation 72, substitute the following :—

"(2) The period of industrial training may range between nine months and twelve months during the last year of the prescribed period of practical training."

XVII. In Schedule 'A', after the existing Form "10", add the following Form "10A" :—

"Form '10A' "

(See Regulation 40)

Roll No.————————

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Emblem)

Foundation Examination Certificate

This is to certify that ..... of ..... has passed the Foundation Examination held by the Institute of Chartered Accountants of India in the month of .....19..... Given under the common seal of the Institute of Chartered Accountants of India, this ..... day of..... ..... 19.....

(Seal)

Secretary

XVIII. In Schedule 'B' —

(i) At the end of paragraph 1, add the following new paragraph 1A :—

1A—*Papers and Syllabus for the Foundation Examination.*

Paper 1—Fundamentals of Accounting

(One Paper—Three Hours—100 marks)

Level of Knowledge.—Basic Knowledge.

Aim.—To ensure acquisition of theoretical knowledge sufficient to provide a foundation for the professional examinations.

Detailed Contents

1. Accounting as a measurement discipline, Income measurement and related accounting concepts. Other accounting concepts. Relationship of accounting with economics and statistics. Role of an accountant in society.
2. Accounting process leading to the preparation of trial balance including rectification of errors, and preparation of final accounts (for non-corporate entities).
3. Depreciation accounting including methods thereof.
4. Inventory valuation.
5. Accounting for special transactions :
   (a) Consignments;
   (b) Joint Ventures;
   (c) Average Due Date; and
   (d) Bills of Exchange and Promissory Notes.
6. Self-Balancing Ledgers.
7. Simple problems in partnership accounts.
8. Receipts and Payments Account and Income and Expanditure Account and Balance Sheet including accounts of professional concerns.

Paper 2—Mercantile Law

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Basic Knowledge.

Aim.—To ensure that the students have grasped the provisions of those branches of law with which they would be normally concerned in their professional work.

Detailed Contents

1. The Indian Contract Act, 1872 including Indemnity and Guarantee, Bailment and Pledge and Agency.
2. The Indian Partnership Act, 1932.
3. The Sale of Goods Act, 1930.

Paper 3—Mathematic and Statistics

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Basic Knowledge.

Aim.—To ensure that the students have a basic understanding of important quantitative tools and their elementary application to business problems.

Detailed Contents

(Section A—Mathematics—50 Marks)

1. Number bases and binary arithmetic; conversion of a given base; Binary fractions.
2. Linear, Quadratic, Exponential and Logarithmic functions. Concept and determination of break even point.
3. Arithmetic and Geometric Progression including series.
4. Permutations and Combinations.
5. Matrices—meaning and operations, matrix inversion, solution to systems of linear equations by matrix inversion as well as pivetal reduction method.
6. Graph of linear inequalities in two variables.
7. Calculus :—
   (a) Elements of trigonometry—to enable a student to learn integral calculus with the aid of trigonometric ratios trigonometric ratios of angles associated with a given angle, addition formulae, Multiple and sub-multiple angles, Transformation of sums into products and vice-versa, Definition of inverse circular function.
   (b) Elements of differentiation, simple applications of differential co-efficients, maxima and minima of unvariate functions; Rules of integration for indefinite and definite integrals. Simple application of integration to accounting and business problems.

(Section B—Statistics—50 Marks)

1. Classification and tabulation of data.
2. Measures of central tendency and dispersion.
3. Correlation and Regression (Linear and Bivariate only).
4. Probability and expected value.
5. Elements of theoretical distribution—Binomial, Poison, Normal.
6. Concept of standard error, interval estimation, determination of sample size, tests of hypotheses, analysis of variance.
7. Time series and forecasting.
8. Index Numbers.
9. Statistical decision theory—Pay-off and Regret Matrics. Decision making without probability and decision making with probability.

Paper 4—Economics

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of knowledge.—Basic Knowledge.

Aim.—(i) To provide basic knowledge of the framework of the economic theory to the extent it is useful for accountants; and

(ii) To ensure that the students are aware of the economic development of the country leading to the contemporary state in which the economy is placed.

Detailed Contents :

MICRO ECONOMICS

1. Nature and scope of Economics, Economic Models and their uses.
2. Demand and Supply, Laws of Demand and Supply, Elasticity of Demand and Supply, Factors affecting Demand and Supply, Demand forecasting.
3. Meaning of Production, Factors of Production, Scale of Production, Law of Returns, Major components of costs.
4. Meaning of Market, Types of Markets, Theory of price and output determination in different market structures and in different economic systems.

INDIAN MICRO ECONOMIC ENVIRONMENT

1. Economic Growth in India—Population and Economic Growth.
2. General profile of agriculture and industry in India; Interdependence of industry and agriculture for economic advancement in India.
3. Industrial Policy of Government, Industrial Growth in India—Problems and prospects.
4. National income in India—Theory and Application.
5. Fiscal Policy in India.
6. Indian Monetary Policy—The functions of commercial banks and Reserve Bank of India.
7. Indian International trade—Exports and Imports—Balance of Trade and Payments."

(ii) At the end of paragraph 2, add the following new prragraph 2A :—

2A. *Papers and Syllabus for the Intermediate Examination.*

GROUP I

Paper 1—Advanced Accounting

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of knowledge.—Working knowledge.

Aim.—To test the ability of the students to prepare accounting records and final accounts in order to reflect the economic transactions and financial affairs of business and other organisations in accordance with current legal requirements and professional standards.

Detailed Contents :

1. Departmental Accounts and Branch Accounts (including Foreign Branches); Royalty, Hire Purchase and Instalment Sale Transactions; Investment Accounts; Packages and Empties; Goods on Sale or Return; Voyage Accounts; Contract Accounts; Computation of Insurance Claims for Loss of Stock and Loss of Profit.
2. Accounts for Agricultural Farms.
3. Higher level problems on Partnership Accounts (including dissolution and conversion into company).
4. Company Accounts—Issue of shares and debentures and redemption of shares and debentures; Preparation of Final Accounts of Companies.
5. Preparation of Final Accounts of Banking, Insurance and Electricity Companies.
6. Simple problems of amalgamation, absorption and reconstruction.
7. Statement of Affairs (including deficiency/surplus Accounts) and Liquidator's Statement of Account of the winding up.
8. Preparation of accounts from incomplete records (single entry).
9. Simple ratio analysis.
10. Introduction to the system of government accounting.

Paper 2—Auditing

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Working knowledge.

Aim.—To test the understanding of the students regarding the techniques and procedures of auditing as also their ability to apply the same to normal practical situations.

Detailed Contents :

1. Auditing.—nature and scope, audit process, objectives of audit, basic principles governing an audit. Types of audits, Relationship of auditing with other subjects, Internal Audit and External Audit.
2. Conduct of audit—audit programmes—working papers—audit note books—audit files—permanent audit files.
3. Audit evidence—physical verification, documentation, scanning, direct confirmation, recomputation, obtaining certificates.
4. Evaluation of Internal Control System—need and its impact on detailed checking.
5. Test Checking—Techniques of test checks—elements of statistical sampling.
6. Audit of payments—general considerations—wages—capital expenditure—other payments and expenses—petty cash payments; Audit of payments into and out of the bank—reconciliation of the bank statements with the cash book.
7. Audit of receipts—general considerations—cash sales—receipts from debtors—other receipts.
8. Audit of purchases—vouching cash and credit purchases—forward purchases—purchases returns.
9. Audit of sales—cash and credit sales—goods on consignment—sale on approval basis—sale under hire—purchase agreement—returnable containers—various types of allowances given to customers—sales returns—sales ledger.
10. Audit of suppliers' ledger and the debtors' ledger—self-balancing and the sectional balancing system—total or control accounts—loose leaf and card ledgers—confirmatory statements from credit customes and suppliers—provision for bad and doubtful debts.
11. Audit of impersonal ledger—capital expenditure, deferred revenue expenditure and revenue expenditure outstanding expenses and income—repairs and renewals—distinction between reserves and provisions—implications of change in the basis of accounting.
12. Valuatiion and verification of assets—general principles—fixed assets, wasting assets, current assets including verification of cash-in-hand and at bank, investments, inventories, freehold and lease-hold property, loans, bills receivable, sundry debtors, plant and machinery, patents.
13. Verification of Liabilities.
14. Audit of Incomplete records.
15. Special points in audit of different types of undertakings i.e. Educational Institutions, Hotels, Clubs, Hospitals, Hire-purchase and Leasing Companies etc. (excluding banks, electricity companies, co-operative societies and insurance companies).
16. Audit of limited companies—appointment of auditors, removal of auditors, the powers and duties of auditors, the auditor's report, audit of share captal, transfer of shares.
17. Features of Government Audit—Comptroller and Auditor General and his constitutional role : Basic principles of Government auditing.
18. Auditing in EDP Environment—basic consideration.

Paper 3—Corporate and Other Laws

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To test the general comprehension of the provisions of certain corporate and other laws and their applications to practical situations.

Detailed Contents :

1. The Companies Act, 1956 : Sections 1 to 145.
2. The Negotiable Instruments Act, 1881.
3. The Payment of Bonus Act, 1965.

Basic awareness of the following Acts;

4. The Payment of Gratuity Act, 1972.
5. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
6. The Societies Registration Act, 1860.
7. The Co-operative Societies Act, 1912.

GROUP II

Paper 4—Cost Accounting

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To assess the understanding of costing concepts and the application of the methods and techniques of cost accounting.

Detailed Contents :

1. Objectives, importance and advantages of Cost Accounting, Cost concepts, Types of costing, Installation of a costing system, Essentials of a good cost accounting system, Difference between Cost Accounting and Financial Accounting. Elements of cost, cost unit and cost centre.

2. *Materials* :

   (a) Materials purchase procedure, receiving and inspection.

   (b) Materials control, objectives of materials control, classification and codification of materials, Inventory control methods-fixation of stock levels, maximum level, minimum levle, re-order quantity, re-order level, ABC analysis, two bin system, perpetual inventory system, physical verification of inventory.

   (c) Material issue procedure, bill of material, return of material, transfer of material.

   (d) Stores records—bin cards, stores ledger, pricing of material issues, including materials returned to vendors and stores.

   (e) Accounting for wastages, scrap, spoilage, defectives and obsolete materials.

   (f) Accounting for control over tools, patterns, designs, blue prints, dies and other similar assets of short-term value.

3. *Labour* :

   (a) Labour cost control, its importance, time-keeping, time booking and their objectives, methods of time keeping and time booking. Time and motion study.

   Control of idle time, over-time and their treatment in cost accounting, Labour turnover, its causes, methods of measuring, effects of labour turnover, how to minimise labour turnover, cost of labour turnover, treatment of the cost of labour turnover.

   (b) Systems of wage payment including bonus and incentive schemes, job evaluation, merit rating, methods of job evaluation.

4. *Overheads* :

   (a) Accounting and control of manufacturing over-head, classification of overhead, grouping and codification,

collection and departmentalisation of manufacturing overhead, re-appointment, overhead absorption methods, treatment of under or over absorption of overhead.

(b) Accounting and control of administrative, selling and distribution overheads.

(b) Accounting and control of administrative, selling tion, interest on capital, research and development expenses, packing expenses, fringe benefits, etc.

5. Methods of Costing, Viz.,

(i) Job Costing

(ii) Contract Costing

(iii) Batch Costing

(iv) Process Costing—Joint products and by-products

(v) Unit Costing

(vi) Operation Costing and Operating Costing.

6. (a) Preparation and presentation of cost data and information particularly tabulation of cost data, preparation of cost sheets and cost statements. General introduction to Cost Accounting Records and Rules (industry-wise details are not expected).

(b) Cost control accounts, Non-integrated accounts, Reconciliation of cost and financial accounts, Integrated system of cost and financial accounts.

7. Marginal costing, methods of segregating semi-variable costs into fixed and variable components, Concepts of Break-Even analysis; Standard Costing and Variance Analysis (elementary problems). Budgetary Control (elementary problems).

8. Uniform costing and inter-firm comparison.

Paper 5—Income Tax and Central Sales Tax
(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowlede : Working Knowledge.

Aim :

(a) To test the understanding of the students regarding the basic principles underlying the substantive provisions of Income-tax Law and their application in solving simple problems on computation of income of an individual under various heads of income.

(b) To test whether the students have acquired a working knowledge of the basic principles of Central Sales Tax Act.

SECTION 'A'—Income-Tax (75 Marks)

Detailed Contents :

Certain important definitions in the Income-tax Act, 1961, such as Agricultural Income, Assessee, Assessment Year, Capital Assets, Company, Indian Company in which public are substantially interested, Charitable Purpose, Dividend, Income, Person, Short-term Capital Asset, Transfer.

— Concept of previous year.

— Basis of charge, Residential status and scope of total income.

— Income deemed to be received/deemed to accrue or arise in India.

— Incomes which do not form part of total income.

— Heads of income and the provisions governing computation of income under different heads.

— Income of other persons included in assessee's total income.

— Aggregation of income and set-off or carry forward of losses.

— Deductions from gross total income.

— Income-tax Authorities, Appointment, Control, Jurisdiction, Powers.

— Procedure for assessment, appeals and revisions. Students will be expected to tackle simple problems concerning assessees with status of individual covering the above areas.

SECTION 'B'—Central Sales Tax (25 Marks)

The Central Sales Tax Act, 1956.

Paper-6—Organisation & Management and Fundamentals of Electronic Data Processing.

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

SECTION 'A'—Organisation & Management (50 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To ensure that the students have grasped various concepts and functions of organisation and management relevant to a professional accountant.

Detailed Contents :

1. *Introduction* :

Basic concepts of Organisation and Management—Nature and types of Organisations—Basic elements of Organisations and their role in economy and society.

Management—Historical development—Theoretical perspectives of Management. Elements, processes and functions of management—Environmental influences on Organisation and Management—Organisational Objectives—Social responsibilities of Management.

2. *Planning and decision making* :

Basic concepts and principles of planning and decision making—Their relationship to other managerial functions. Elements, techniques and processes—Types of plans and decisions—Implementation of plans and decisions.

3. *Organising and Staffing* :

Basic concepts of organising and staffing—Structural design of organisation and its importance, Departmentalisation, span of control, delegation, centralisation line-staff, etc.—Traditional and modern organisational structures—Principles of organising and staffing—Application to accounting and finance functions.

4. *Directing and Leading* :

Basic concept and techniques. Communication, motivation and leadership—Processes and approaches—The concept, principles and applications of organisational behaviour.

5. *Control and Coordination* :

Basic concepts, elements, processes and techniques of control and co-ordination.

SECTION 'B'—Fundamentals and Electronic Data Processing —(50 Marks)

Level of Knowledge : Basic Knowledge.

Aim : To ensure understanding and application of broad nature and fundamentals of Electronic Data Processing.

Detailed Contents :

1. Elements of Data Processing—data, information, input, processing and output. Data Concepts—fields, records, files, file structure.

2. Computers and their characteristics, brief history of computers, computer hardware, basic operations of a computer, categories of commercial computers—main frames, mini-computers, micro computers.

3. Input devices—magnetic tape, magnetic disk, floppy disk, MICR, OCR, VDU, etc.

Output devices-printers, VDU, computer out-put micro-filming.

Terminals and data communications, Networks, Distributed Systms.

Software—Systems software, application software, specification software.

Electronic spread sheet, Word-processing, Data base management systems.

Data representation—Binary, BCD, Octal, Hexadecimal, *EBCDIC and ASCII.*

Types of computer memory—core, semi-conductor, RAM ROM, Bubble, Concepts relating to memory addressing.

4. Computer processing techniques—batch processing, on-line processing, off-line processing, multi-programming, time sharing, real time processing. Data base Features of distributed versus centralised data base. Recent advances in computer technology relating to commercial computers.

5. Introduction to flow charts : systems flow charts, run flow charts, program flow charts—illustrations, benefits and limitations. Decision tables—types, illustrations, benefits and limitations.

6. Introduction to computed programming : hierarchy of computer languages, simple program writing using COBOL and BASIC languages."

(iii) At the end of paragraph 3, add the following new paragraph 3A :—

"3A. Papers and Syllabus for the Final Examination.

GROUP I

Paper 1—Advanced Accounting

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge.

Aim : To test the understanding of the students regarding the professional standards, principles and procedures of accounting as well as their ability to apply the same to different practical situations.

Detailed contents :

1. Advanced problems of Company Accounts.

2. Higher problems of amalgamation, absorption and reconstruction.

3. Valuation of business and shares.

4. Consolidated accounts of Holding Companies.

5. Accounting Standards, Statements and Guidance Notes on various accounting aspects issued by the Institute and applications thereof with particular reference to the above topics.

6. Developments in accounting—Inflation adjusted accounts, Human Resources Accounting, Social Accounting and Value Added Statements.

7. Limitations of Financial Statements.

Interpretation and analysis of financial statements including interpretation and analysis of financial data, Ratio analysis, Counter-check by two different ratios analysis, Counter-check by two different ratios, limitations of ratios. Comparative statement analysis and Inter-firm comparisons.

8. Cash flow, statement of source and application of funds.

9. Special features of accounting for non-profit making organisations and public utilities.

Paper 2 Management Accounting and Financial Analysis

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge.

Aim : To assess whether the students have acquired a sound knowledge of the concepts and techniques of management accounting and related managerial decision making of organisations including Public Sector Undertakings.

Detailed Contents :

1. Meaning, Importance and Objectives of Financial Management Functions of a Finance Manager.

2. Short-term and Long-term Financial Planning and Forecasting; Predicting the incipient industrial sickness; Operating and Financial Leverage; Cost-Volume-Profit Analysis.

3. Management of Working Capital-ash Management, Receivables Management Inventory Management and Financing or Working Capital.

4. Sources of long-term and short-term finance; control on Capital issues including Bonus Shares; Capital Structure; Dividend Policy; Lease Financing; Issue of shares and securities; Listing of securities.

5. Capital Budgeting—Preparation of Project Report, Financial Projections, Techniques for Evaluation of Capital Projects like Payback Method, Rate of Return, Discounted Cash Flow-Net Present Value and Internal Rate of Return Methods; Capital Rationing; Risk Analysis in Capital Budgeting and Evaluation of Risky Investments; Social Cost Benefit Analysis; Network Techniques for Control of Capita Budgeting PERT and CPM.

6. Cost of Capital Cost of different Sources of Finance, Weighted Average Cost of Capital Marginal Cost of Capital.

7. Budgets & Budgetary control—Functional Budgets (Including Responsibility Budgets) loading to preparation of Master Budget, Fixed and Flexible budgeting, Performance budgeting, Zero Base budgeting, Reporting for performance at different levels.

8. Negotiating Term Loans with Banks and Financial Institutions, Appraisal of Term Loans by Financial Institutions in India.

9. Management of Investment Portfolio, Selection of securities, Timing of buying and selling decisions.

10. Special features of financial management in public sector undertakings.

11. Inflation and financial management.

12. Corporate taxation and its impact on corporate financing.

13. Introduction to International Financial Management—Raising International finance and exchange rate, Risk management, foreign exchange transactions.

Paper 3—Advanced and Management Auditing

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge.

Aim : To assess whether the students have acquired a sound knowledge of current auditing practices and procedures and can apply them to diverse practical situations.

Detailed Contents :

1. Planning and Programming of Audit

Planning the flow of audit work-interim audit, continuous audit. Division of work between different levels of assistants problems of supervision—review of audit notes and working papers—principal's ultimate responsibility—question of delegation. Control over the quality of audit work. Reliance on another auditor, on internal auditor, on an expert.

2. Internal Control and Internal Audit :

Evaluation of Internal Control procedures—Techniques including questionnaire, flow-chart. Internal Audit and External Audit—Coordination between the two.

3. Special Audit Techniques :

Selective verification—statistical sampling. Special audit procedures—witnessing physical verification of assets—direct circularisation of debtors and creditors. Review of accounts on an overall basis—Balance Sheet Audit—Ratio Analysis etc. Improving the efficiency of auditing—systems auditing and risk based auditing.

4. Audit Limited Companies ;

(a) Auditor's responsibility vis-a-vis

(i) Statutory requirements under the Companies Act.

(ii) Audit of branches.

(iii) Joint audits.

(b) Concepts of true and fair and materially in the context of audit of companies.

(c) Significance of obtaining information and explanation from the management—degree of reliance to be placed thereon.

(d) Audit reports—Qualifications—Notes on accounts. Distinction between notes and qualifications. Detailed observations by the statutory auditor to the management vis-a-vis obligations of reporting to the members. Special reports for prospectus.

(e) Dividends and divisible profits—financial, legal and policy considerations with special reference to depreciation.

5. Special points in audits of public sector companies—

Directions of Comptroller and Auditor General under Section 619—concepts of propriety and efficiency audit.

6. Special Audit.

7. Cost Audit.

8. Certification :

Certificates under the Payment of Bonus Act, import/export control authorities etc.,—Distinction between certificates and reports. Specific services to non-audit clients.

9. Investigations :

Investigations such as concerning schemes of amalgamation, reconstruction, purchase or sale of business etc.

10. Audit under different provisions of the Income Tax Act.

11. Special features of audit of banks, insurance companies and co-operative societies.

12. Statements/Standards and Guidance Notes :

Accounting Standards, Statements on Auditing Practices and guidance notes issued by the Institute connected with accounting and auditing matters—concept of generally accepted auditing practices—audit with reference to such practices—its significance.

13. Rights, duties and liabilities of auditors—third party liability—nature and extent.

14. Professional ethics and code of conduct.

15. Concept of Management and Operational Audit—its nature and purpose, organisation—Audit Programme—Behavioural problems.

16. Specific areas of Management and Operational Audit involving review of internal control purchasing operations, manufacturing operations, selling and distribution, personnel policies, systems and procedures.

17. Special audit assignments like audit of bank borrowers, audit of stock exchange brokers.

18. Computer auditing—specific problems of EDP Audit, need for review of internal control especially procedure controls and facility controls; techniques of audit of EDP output. Use of the computer for internal and management audit purposes—Test packs, computerised audit programmes. Involvement of the auditor at the time of setting up the computer system.

Paper 4—Corporate Laws & Secretarial Practice

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of knowledge.—Expert Knowledge.

Aim.—To test the students' knowledge of the law and practice in respect of Company Law and related Acts.

Detailed Contents :

1. The Companies Act, 1956 (Section 146 onwards till end).

2. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

3. The Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

4. The Capital Issues (Control) Act, 1947, and Exemption Order issued thereunder.

5. The Sick industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

6. Rules of Interpretation of Statutes, Deeds and Documents.

7. Application of Secretarial Procedure and Practices.

GROUP II

Paper 5—Advance Cost Accounting and Cost Systems

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Expert Knowledge.

Aim.—To test the understanding of the students regarding the principles and procedures of cost accounting as well as their ability to apply the same to different practical situations for managerial decision making.

Detailed contents :

1. Cost Classification and Analysis.

2. Cost Concepts in decision making—Relevant Cost, Differential Cost, Incremental Cost and Opportunity Cost.

3. Marginal Costing—Distinction between marginal costing and absorption costing. Break-even Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis; Break-even charts, Contribution margin and various decision making problems like Make or Buy, Shut down or Continue, Expand or Contract, Pricing Decisions in special circumstances, Product Decisions.

4. Problems on decision making such as Retain or Replace, Repair or Renovate. Now or later, Change vs. Status quo, Sell or Further Process, Own or Lease, Self or Scrap or Retain, Pricing decisions, Product decisions, Marketing and Distribution decisions. Inventory control, Plant location, Product development, Competitive pricing. Price differentials and discounts and Pricing/Marketing strategies.

5. Cost Control as distinct from Cost determination, Control over wastages, scrap, spoilages and defectives.

6. Management Control—Responsibility Accounting, cost, profit and investment centres, problems on transfer pricing using the contribution approach.

7. Standard Costing and Variance Analysis—Material, Labour and Overheads; Reporting of Variances.

8. Cost Reduction—Techniques of cost reduction such as Work Study, Time and Motion Study and Value Analysis; Employee Participation in Cost Reduction Programmes; Significance of Constituting Special Cost Reduction Cells.

Paper 6—Systems Analysis, Data Processing & Quantitative Techniques.

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Working Knowledge.

Aim.—(i) To test the ability of the students to apply techniques of systems analysis and design to design and implement business computer applications.

(ii) To test the ability of the student to apply quantitative techniques to business problems.

Detailed Contents :

1. Basic requirements of MIS—its need, purpose and significance; recognising the need to provide different types of information at different levels of management. Systems approach to management problem solving. Need to instal information systems specially designed to meet the objectives of each business; conceptual knowledge on usage of information for decision making.
2. Systems development process.
3. Concepts of systems analysis and design, programming methods, techniques and tools.
4. Change-over from manual to computerised system related problems and evaluations.
5. Design of computerised commercial applications ; financial accounting, inventory control, production control, share accounting, payroll preparation and accounting, sales accounting, invoicing.
6. Computer management-organisation and staffing of the EDP Department.
7. Selection and installation of computer-selection of computer, criteria for selection, evaluation of tenders, financial matters (rent, lease, buy, installation costs), Computer Bureaus.
8. Controls in EDP set up.
9. Standards-management, methods and procedure standards.
10. Security of computer installation, stand-by facilities, Hazards to be guarded forfire, fire detection and extinguishing equipment, action to be taken in the event of fire, how to save the data in such cases, Insurance cover.
11. Quantitative techniques, Linear programming, Transportation, Assignment problems, PERT/CPM.

    Statistical decision theory-EVPI, Posterior analysis using Binomial and Normal functions, Queuing Theory-Single Channel; Simulation.

Page 7—Direct Taxes

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Expert Knowledge.

Aim.—(i) To test whether the students have achieved a thorough knowledge of the Income-tax Act 1961, Wealth Tax Act, 1957 Gift Tax Act, 1958 and the relevant rules and principles emerging from leading cases.

(ii) To test whether the students have ability to apply their knowledge of the provisions of law to various situations in actual practice with particular reference to areas where tax planning could be undertaken.

Detailed Contents :

I. Income Tax Act, 1961.

II. Wealth Tax Act, 1957.

III. Gift Tax Act, 1958.

While covering the Direct Tax Acts, students should familiarise themselves with considerations relevant to tax planning. These may include tax considerations with regard to specific management decisions, foreign collaboration agreements, amalgamations, tax incentives, personnel compensation plans, accounting and other precautions to be observed to maximise tax reliefs etc.

Paper 8—Indirect Taxes

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge.—Working Knowledge.

Aims.—To test whether the students have acquired a working knowledge of the basic principles of the laws governing Central Excise and Customs.

Detailed Contents :

I. Central Excise and Salt Act. 1944 as amended up-to-date. Central Excise Tariff Act, 1985 as amended up-to-date.

The customs and Excise Revenues Appellate Tribunal Act, 1986.

1. Nature of Excise Duty, Legislative history, coverage etc. Levy and collection of Excise duties under the Central Excises and Salt Act, 1944, Legal effects of Notifications, Tariff advices, trade notices.
2. Provisions governing manufacture and removal of exciseable goods;

   Valuation under the Central Excises and Salt Act, 1944, Cenral Excise (Valuation) Rules, 1975, filing and approval of price lists.
3. Classification of goods under Central Excise Tariff Act, 1985 with reference to Rules of Interpretation, filing and approval of classification list.
4. Assessment including provisional assessment, self-removal procedure, payment of duty and rate of duty Record based control and Production based control.
5. Short levy, non-levy, erroneous grant of refund, duty paid in excess. Refunds and powers of Central Government regarding short levy and non-levy.
6. Licensing procedures, formalities and related bonds.
7. Procedure relating to storage of excisable goods, time and manner of payment of duty, rules relating to marking of goods, gate passes and other matters relating to removal of goods.
8. Maintenance of records, registers and filing of returns.
9. Entry/retention of duty paid goods in he factory.
10. Remission of duty on goods used for special industrial purposes.
11. Procedure for exports, duty drawback.
12. Proforma credit and MODVAT.
13. Departmental organisation set-up. Adjudication and Appellate procedures-Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and the Customs and Excise Revenues Appellate Tribunal.
14. Offences and penalties.
15. Exemptions for small scale industries.

II. Customs Act, 1962 and Customs Tariff Act, 1975.

1. Principles governing levy of and exemption from customs duties.
2. Basic principles of classification of goods and valuation of goods.
3. Customs authorities, appointment of customs ports, warehousing stations etc.

4. Provisions governing importation and exportation of goods, Special provisions regarding baggage, goods imported or exported by post, and stores.

5. Detailed procedure in relation to transportation and warehousing.

6. Drawback of customs duties paid.

A. K. MAJUMDAR, Acting Secretary

Madras-600 034, he 28th August 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(4)/4/91-92.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at his own request from 1st April 1991 the name of Shri D. B. Sastri, Akash Deep, 14/A, Orange Grove Road, Coonoor.

His Membership No. is 1740.

M. C. NARASIMHAN, Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th August 1991

'ADDENDA'

No. A-12(11)-13/89-Estt.I(A).—In the Notification No. A-12(11)-13/89-Estt.I(A).Col.II, dated 27th November, 1989 published in Part-III, Section-IV, of the Gazette of India, No. 49, dated 9th December, 1989 (Agrahayana 18, 1911), under the heading "Educational and other qualifications required for direct recruits", the following note shall be inserted at the end of Column 8 of the Schedule annexed to the Notification for the post of Insurance Inspector/Manager Grade-II etc. on page 1499 :

"Note :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them."

SMT. KUSUM PRASAD, Director General

New Delhi, the 21st August 1991

No. N-15/13/1/1/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-8-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

(i) "The area within the Municipal limits of Samalkot and also the area within the revenue Village of Unduru, Kapavaram and P. Vemavaram in Samalkot revenue Mandal of East Godavari District."

(ii) "The area within the Municipal limits of Peddapuram and also the area within the revenue Village of G. Ragampeta, J. Timmapuram Rayabhupalapatnam, China Brahma Devam, Pulimeru and Ramasampet in Peddapuram Mandal of East Godavari District."

No. N-15/13/14/2/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-8-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"The areas comprising revenue Villages of Peedampalli, Pappampatti, Pattanam and Kalangal in Palladam taluk in Coimbatore District."

S. GHOSH, Jt. Insurance Commissioner

New Delhi, the 28th August 1991

No. U-16/53/91/Med.II(A.P.)Vol.I.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) D. Bharathi to function as medical authority w.e.f. 16-5-91 to 15-5-92 or till a fulltime Medical Referee joins, whichever is earlier, for Hyderabad area at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA, Medical Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 3rd September 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt. I/71428.—WHEREAS Hindustan Sanitaryware and Industries Ltd., Bahadurgarh, Distt. Rohtak, Haryana (PN/1843) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification no. 2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/5388 dated 21-9-90 and subject to the conditions specified in Schedule II anexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-3-90 to 28-2-93 upto and inclusive of the.

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. -The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schemes as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commisisoner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of cliams completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1434.—WHEREAS M/s. Tata Telecom Ltd., E-I/I, Gandhinagar Electronics Estate, Gandhinagar-382 028 (GJ/18706) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-11-90 to 30-10-93.

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. -The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the siad Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commisisoner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of cliams completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89Pt I/1440.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Madras from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

REGION: MADRAS

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s Detergents India Ltd., No. 3, Club House Road, IInd Floor, Anna Salai, Madras-600 002.	TN/11210	1-7-87 to 30-6-90 & 1-7-90 to 30-6-93	2/1643/87—DLI
2.	M/s Profact Limited, No. 158, Eldams Road, Madras-18.	TN/19807	1-9-89 to 31-8-82	2/3721/91—DLI
3.	M/s A.I. Enterprises, 69-A(NP) AM battur Industrial Estate' Madras-98.	TN/23198	1-10-89 to 30-9-92	2/3722/91—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the Policy is allowed to lape, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I/1446.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Hyderabad from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

REGION: HYDERABAD

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Date of exemption	CPFC's File No.
1.	M/s Controls and Schematics Pvt. Ltd., 3-6-584/G, Himayat Nagar, Hyderabad-500029 (AP) . .	AP/5008	1-12-89 to 30-11-92	2/3752/91-DLI
2.	M/s Srinivasa Cystine Ltd., Regd. Office, G-2, Concorde Apartments 6-3-658, Somajiguda, Hyderabad-500482 (AP)	AP/18544	1-1-91 to 31-12-93	2/3753/91-DLI
3.	M/s Bhadra Chalam Paper Boards Ltd., Vill. Sarapaka, Burgumpad Tq. Khammam Distt. 507128 . .	AP/11631	1-4-89 to 31-3-92	2/3755/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the Policy is allowed to lape, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/1446.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION : ANDHRA PRADESH

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s Super Spinning Mills Ltd., A Unit-Kirikera Hindupur, Andhra Pradesh	AP/2678	S-35014(74)/87-SS-II dated 27-7-87	26-7-90	27-7-90 to 26-7-93	2/1562/86-DLI
2.	M/s Nagarjuna Steels Ltd., Nagarjuna Hills, Panjutta Hyderabad-500482	AP/6330	S-35014/104/84-SS-II dated 18-9-87	9-11-90	10-11-90 to 9-11-83	2/1077/84-DLI
3.	M/s Fennoplast Ltd., 306 Chemoy Trade Centre, 3rd Floor, Park Lane, Secunderabad-500003 (AP)	AP/11862	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I dated 3-5-91	30-4-90	1-5-90 to 30-4-93	2/1770/88-DLI
4.	M/s Goldstar Holding and Industries Ltd., Goldstar, Chambers 6-3-802, Ameerpet main Road, Hyderabad (AP) 500016.	AP/16403	2/1959/DLI/Exem/89 PT-I/7681 dated 3-5-91	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2703/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, includng maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1452.—WHEREAS M/s. Chatterjee Engineering Co. (WB/15760) Sree Ganesh Business Centre, 216, A.J.C. Bose Road, Flat-2A, Calcutta-700 017 have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellanceous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed

hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-1-89 to 31-12-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the emplover shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the emplover shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in lal respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/1458.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisefid that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subiect to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto. I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION: MADRAS

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Star Talkies, No. 40, Tripli Cane High Road, Madras-600005.	TN/2239	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 4-10-89	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2542/90-DLI
2.	M/s Color Crafiks, 8, Leith Castle Street, Santhom, Madras-600028.	TN/19262	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 18-9-89	30-9-89	1-10-89 to 30-9-92	2/1858/88-DLI
3.	M/s V.S.T. Service Station Pvt. Ltd., 182, Anna Road, Madras-6.	TV/1134	S-35014/315/83-PF. II/SS. II dated 1-3-88	27-1-90	28-1-90 to 27-1-93	2/958/83-DLI
4.	M/s Mcrenett Foods Pvt. Ltd., 682, Anna Salai, Madras-600006.	TN/2922	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 18-9-89	31-10-90	1-11-90 to 31-10-93	2/2002/89-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurnace Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible undr the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/Pt. I/1465.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisefid that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION: TAMIL NADU

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Indira Gandhi Indl. Complex, Indl. Service Coop. Society Ltd., BHEL Complex, Ranipet-632406.	TN/22305	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 29-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3739/90/DLI
2.	M/s Suri & Company No. 8, Rutland Gate, 4th Street, Madras-600 006.	TN/3670	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 10-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2809/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspecttion, as the Central Provident Commisioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurnace Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a mmber of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible undr the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the pror approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of decreased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 4th September 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1471.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to conditions specified in Schedule-II anexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION: HYDERABAD

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Hyderabad Bottling Co. Pvt. Ltd., 8-3-949/1, Punjagutta, Hyderabad-500016 (A.P.)	AP/1821	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 19-12-89	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/2139/89-DLI
2.	M/s Indo National Ltd., Factory Tada-524401 Nellore Distt.(A.P.),	AP/11560	S-35014/108/87-SS. II dated 23-9-87	22-9-90	23-9-90 to 22-9-93	2/1451/88/DLI
3.	M/s B.V.R. Confectionery Pvt. Ltd., B.V. Reddy Colony, Chittoor-517001 (A.P.)	AP/16220	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/ 602 dated 15-9-89	30-9-90	1-10-90 to 30-9-93	2/3014/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintained such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary permium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange the enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liablt to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for peyment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of he member covered onder the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1477.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION : MADURAI

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of earlier exemption	Period for exmption further extended	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s J. Date Industries Annama Raja Nagar Sankarankoil Road, Rajapalayam-626117.	TN/20253	2/1959/DLI/Exemp/89 Pt. I dated 12-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2875/90/DLI
2.	M/s Azhagappa Spg. Mills (P) Ltd., P.O. Box No. 18 Rajapalaiyam.	TN/1125	2/1959/DLI/Exemp/89 Pt. I, dated 1-9-89	31-12-90	1-1-91 to 31-12-93	2/1981/89/DLI
3.	M/s D.C.W. Ltd., Sahupuram, Arumugeneri P.O. 628202, V.O.C. Distt.	TN/2862	2/1959/DLI/Exemp/89 Pt. I dated 29-1-90	31-1-90	1-2-90 to 31-1-93	2/2461/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/1483.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Centtral Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insuracne Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in schedule II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION: RAJASTHAN

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s New Majestic Tailes, Post Box No. 62, Ajmer, Rajasthan	RJ/170	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.-I dated 28-9-89	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93	2/3744/91-DLI
2.	M/s Vedic Yantralaya P.B. No. 38, Arya Samaj Marg, Ajmer-305001	RJ/358	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28-9-90	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/3745/91-DLI
3.	M/s Daily Navajyoti Printing Press, Ajmer	RJ/1016	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28-9-90	30-9-90	1-10-90 to 30-9-93	2/1872/88-DLI
4.	M/s Omega Electrical Industries A-160, Indarprastha Industrial Area, Kota-324005	RJ/2032	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28-9-90	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/3746/91-DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment hereinafter referred to as the employer) shall such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commisisoner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient feautres threof in the language of the majority of the emloyees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay neccessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment os assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1489.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insuracne Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Kerala from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

REGION : KERALA

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's file No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s Kerala Electric Lamp Works Ltd., P.O. Athani, District Ernakulam, Kerala-683586.	KR/2817	1-1-88 to 31-12-90	2/3737/91/DLI
2.	M/s Kerala Agro Machinery Corporation Ltd. . . . P.O. Athani, District Ernakulam, Kerala-683586	KR/3375	1-12-87 to 31-11-90	2/3738/91
3.	M/s Svad Agencies Broadway Lane, Ernakulam . . . Cochin-682031.	KR/10254	1-4-90 to 31-3-93	2/3739/91
4.	M/s Nice Chemicals (P) Ltd. . . . . 50/822, Nice Complex, Manimala Road, Edappally Kochi-682024.	KR/13161	1-5-90 to 30-4-93	2/3741/91
5.	M/s Sterling Industrial Chemicals and Allied Industries (P) Ltd., Thusharaw 48/1308-A, Balan Menon Road, Edappilly, Kochi-682024.	KR/13162	1-5-90 to 30-4-93	2/3742/91

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the aministration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the emloyees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs (s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/leg alheir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of cliams completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt-1/1495.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissoiner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ·

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Kerala from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Date of expiry earlier exemption.	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s Aspinwall & Co. Ltd., Post Office Box No. 2 Cochin-682001, Kerala.	KR/1057	1-1-89 to 31-12-91	2/3777/91
2.	M/s Aspinwall & Co. Ltd., Calvetty, P.B. No. 2 Cochin-682001	KR/1714	1-1-89 to 31-12-91	2/3777/91
3.	M/s Aspinwall & Co. Ltd. P.B. No. 2, Cochin-682001.	KR/1783	1-1-89 to 31-12-91	2/3777/91
4.	M/s Anand Water Meter Manufacturing Company (P) Ltd. Post Box No. 1002, XXXVI/1544, M.G. Road, Ernakulam, Cochin-682011, Kerala	KR/1958	1-12-88 to 30-11-91	2/3778/91
5.	M/s Bharat Hotel, Post Box No. 2357, D.H. Road, Ernakulam, Cochin-682016.	KR/2641	1-9-89 to 31-8-92	2/3779/91

SCHEUDLE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts nad provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in repect of him to the Life Inurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the sail Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nomince(s)/legal heir(s) of the employer as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the perior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establihment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of cliams completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.1/1501.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissoiner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Kerala from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption.	C.P.F.C's File No.
1.	M/s Vijaya Mohini Mills, Thirumala P.O. Trivandrum-695006.	KR/6	1-7-89 to 28-2-90	2/3785/91
2.	M/s Kerala Kaumudi (P) Ltd. P.B. No. 77, Trivandrum-695024.	KR/138	1-3-88 to 28-2-91	2/3786/91
3.	M/s Shree Ramakrishna Ashrama Charitable Hospital, Sastha Mangalam, Trivandrum-695010.	KR/1660	1-12-88 to 30-11-91	2/3787/91
4.	M/s Keltron Counters Ltd. Chavadimukku, Sreekariyam P.O. Trivandrum-695017	KR/2635	1-9-88 to 31-8-91	2/3789/91

SCHEUDLE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

THE BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 22nd August 1991

CORRIGENDUM

Read "Rs. 100/-" instead of "Rs. 10/-" at the end of Rule 4 (Application for Transfer from one State to another State Bar Council) as published in the 2nd column of Notification No. Nil dated 7-12-1989 at page 2992 of Gazette of India Part III Sec. 4, dated 27-10-1990.

SHYAM MOHAN SRIVASTAVA, Secy
Bar Council of India

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi-16, the 9th August 1991

NOTICE

No. CWC : III/1/34/91-B&C.—In pursuance of rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the Director duly elected on 7-8-91 from the class of shareholders specified in clause (d) of sub-section 1 of section 7 of the Warehousing Corps. Act, 1962 is notified as under :—

Class of shareholders	Name & address of the Director.
Scheduled banks other than State Bank of India.	Sh. K.M. Narayanan, Dy. General Manager, Indian Overseas Bank, Central Office : P.B. No. 3765, 762. Anna Salai, Madras-600002.

M. MASEEH,
Secretary,

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 24th August 1991

No. 11-1/80-PCI/Pt.I/3207-10.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Pharmacy Council of India Regulations, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Pharmacy Council of India (Amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pharmacy Council of India Regulations :—

(a) after regulation 67, the following regulation shall be inserted, namely :—

"67A. The Secretary-cum-Registrar shall be the drawing officer for himself and the drawing and disbursing officer for the members of the staff of the council."

(b) In regulation 68, for the figure, "500", the figure "1000", shall be substituted.

Sd/- Illegible
Secy.
Pharmacy Council of India

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991